रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1075]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935
No. 1075]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

का.आ.1221(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अधिनियम"** से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) **"सक्रिय भेषजिक संघटक या प्रपुंज ओषधि"** से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप कोई भेषजिक, रासायनिक, जैव या वनस्पति उत्पाद अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इसके लवण, ईस्टर, आइसोमर, सदृश और व्युत्पन्न भी है और जिनका प्रयोग उसी रूप में या किसी विनिर्मिति में संघटक के रूप में किया जाता है ;

(ग) **"ब्रांड"** से नाम, शब्द, डिजाइन, प्रतीक, व्यापार चिन्ह या ऐसी कोई अन्य विशेषता अभिप्रेत है जिससे एक विक्रेता की ओषधि की दूसरे विक्रेताओं की ओषधि से सुभिन्न रूप में पहचान की जाती है ;

(घ) **"अधिकतम कीमत"** से ऐसी कोई कीमत अभिप्रेत है जो सरकार ने इस आदेश के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए नियत की है ;

(ङ) **"व्यवहारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो थोक या फुटकर में ओषधियों के क्रय या विक्रय का कारबार करता है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है ;

(च) **"वितरक"** से ओषधि के वितरण के कार्य में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अभिकर्ता या किसी व्यवहारी को विक्रय हेतु ओषधियों का स्टॉक करने के लिए कोई स्टॉकिस्ट भी है ;

(छ) **"विद्यमान विनिर्माता"** से इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान विनिर्माता अभिप्रेत है ;

(ज) **"प्ररूप"** से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(झ) **"विनिर्मिति"** से किसी भेषजिकी की सहायता से या उसके बिना रोगों में आंतरिक या बाह्य प्रयोग के लिए उसके निदान, इलाज, शमन या उनसे बचाव के लिए एक या अधिक ओषधियों से मिलाकर तैयार की गई ओषधि अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, अर्थात् :—

(i) कोई ओषधि जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक प्रणाली (जिसके अंतर्गत सिद्ध भी है) या यूनानी (तिब्ब) प्रणाली की कोई सद्‌भाविक ओषधि भी है ;

(ii) होम्योपैथिक प्रणाली की कोई ओषधि ;

(iii) ऐसा कोई पदार्थ जिसे ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के उपबंध लागू नहीं होते ;

(ञ) **"किसी ओषधि का जेनेरिक रूपांतर"** से भेषजीय नाम या किसी ब्रांड नाम के बिना विनिर्मिति में अंतर्विष्ट सक्रिय भेषजिक संघटक के नाम से विक्रीत कोई विनिर्मिति अभिप्रेत है ;

(ट) **"सरकार"** से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ठ) **"आयात"** से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से किसी ओषधि को विक्रय के लिए भारत में लाना अभिप्रेत है ;

(ड) **"स्थानीय करों"** से विनिर्माता या उसके अभिकर्ता या व्यवहारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय (फुटकर कीमत में सम्मिलित उत्पाद या आयात शुल्क के सिवाय) कोई कर या उद्ग्रहण अभिप्रेत है ;

(ढ) इस आदेश के प्रयोजन के लिए **"विनिर्माता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो देश में वितरित या विक्रय करने के लिए ओषधियों का विनिर्माण, आयात या विपणन करता है ;

(ण) **"बाजार अंश"** से किसी ओषधि के ब्रांड या जेनेरिक रूपांतर (गतिमान वार्षिक आवृत्त के आधार पर) के घरेलू विक्रय मूल्य और उसी शक्ति और मात्रा प्ररूप वाले घरेलू बाजार में विक्रय की गई उस ओषधि के सभी ब्रांडों या जेनेरिक रूपांतरों के कुल घरेलू विक्रय मूल्य के योग्य का अनुपात अभिप्रेत है ;

(त) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए **"फुटकर विक्रेता को मार्जिन"** से फुटकर विक्रेता को कीमत की प्रतिशतता अभिप्रेत है ;

(थ) **"बाजार आधारित आंकड़े"** से सरकार द्वारा समय-समय पर ठीक समझे गए किसी ओषधि से संबंधित एकत्रित या अभिप्राप्त किए गए विक्रय के आंकड़े अभिप्रेत है ;

(द) **"अधिकतम फुटकर कीमत"** से वह अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत जमा स्थानीय कर और शुल्क, जो लागू हो, अभिप्रेत है, जिस पर ओषधि अंतिम उपभोक्ता को बेची जाएगी और जहां ऐसी कीमत पैक पर उल्लिखित है ;

(ध) किसी विशिष्ट मास में **"गतिमान वार्षिक आवृत्त"** से घरेलू बाजार में बारह मास का संचित विक्रय मूल्य अभिप्रेत है, जहां पर उस मास का विक्रय मूल्य जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती वर्ष के उसी मास के तत्स्थानी विक्रय को घटाया जाता है;

(न) **"राष्ट्रीय आवश्यक ओषधि सूची"** से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अद्यतन और पुनरीक्षित की गई और राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित सरकार द्वारा इस आदेश की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित की गई राष्ट्रीय आवश्यक ओषधि सूची, 2011 अभिप्रेत है ;

(प) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए **"नई ओषधि"** से राष्ट्रीय आवश्यक ओषधि सूची में सूचीबद्ध रूप में विनिर्दिष्ट मात्रा और शक्ति की किसी ओषधि के विद्यमान विनिर्माता द्वारा, उस ओषधि को दूसरी ओषधि के साथ मिलाकर, चाहे वह

राष्ट्रीय आवश्यक ओषधि सूची में सूचीबद्ध हो या सूचीबद्ध नहीं हों, प्रारंभ की गई कोई विनिर्मिति या राष्ट्रीय आवश्यक ओषधि सूची में सूचीबद्ध रूप में विनिर्दिष्ट मात्रा और शक्तियों वाली उसी ओषधि की शक्ति या मात्रा या दोनों में परिवर्तन करके प्रारंभ की गई विनिर्मिति अभिप्रेत है ;

(फ) **"अननुसूचित विनिर्मिति"** से ऐसी विनिर्मिति अभिप्रेत है जिसकी मात्रा और शक्ति प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं;

(ब) **"फार्माकोइकोनोमिक्स"** से ऐसी वैज्ञानिक नियमावली अभिप्रेत है जो एक भेषजीय ओषधि के चिकित्सा शास्त्र मूल्य की दूसरी ओषधि चिकित्सा से तुलना करती है ;

(भ) **"कीमत सूची"** से पैरा 24 और 25 में निर्दिष्ट कीमत सूची अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अनुपूरक कीमत सूची भी है ;

(म) **"फुटकर विक्रेता को कीमत"** से किसी ओषधि की ऐसी कीमत अभिप्रेत है जिस पर यह किसी फुटकर विक्रेता को बेची जाती है जिसमें शुल्क सम्मिलित होते हैं और स्थानीय कर सम्मिलित नहीं होते हैं ;

(य) **"फुटकर कीमत"** से सरकार द्वारा पैरा 5 के अधीन किसी नई ओषधि के लिए नियत की गई कीमत अभिप्रेत है ;

(यक) **"फुटकर विक्रेता"** से ग्राहकों को ओषधियों के विक्रय का फुटकर कारबार करने वाला कोई व्यवहारी अभिप्रेत है ;

(यख) **"अनुसूचित विनिर्मिति"** से प्रथम अनुसूची में सम्मिलित कोई भी विनिर्मिति अभिप्रेत है चाहे वह जेनेरिक रूपांतर से निर्दिष्ट हो या ब्रांड नाम से निर्दिष्ट हो ;

(यग) **"अनुसूची"** से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(यघ) **"थोक विक्रेता"** से किसी फुटकर विक्रेता, अस्पताल, औषधालय, चिकित्सा, शिक्षा या रिसर्च संस्था या किसी अन्य अभिकरण को ओषधियों के विक्रय में लगा कोई व्यवहारी या उसका अभिकर्ता या कोई स्टॉकिस्ट अभिप्रेत है ;

(यङ) **"थोक विक्रय कीमत सूचक"** से औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा घोषित सभी वस्तुओं का वार्षिक थोक विक्रय कीमत सूचक अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम या ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में परिभाषित सभी अन्य शब्दों और पदों का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः उक्त अधिनियमों में उनका है ।

3. **सक्रिय भेषजिक संघटकों या प्रपुंज ओषधियों या विनिर्मितियों के निर्माताओं को निदेश.**—सरकार,—

(i) आपातकाल की दशा में या अत्यावश्यकता की परिस्थितियों में या लोकहित में वाणिज्येतर उपयोग की दशा में ओषधियों की पर्याप्त उपलब्धता प्राप्त करने और वितरण को विनियमित करने की दृष्टि से किसी भी सक्रिय भेषजिक संघटक या प्रपुंज औषध या विनिर्मिति के किसी विनिर्माता को ऐसे सक्रिय भेषजिक संघटक या प्रपुंज ओषधि का उत्पादन बढ़ाने और विनिर्मितियों को ऐसे अन्य विनिर्माताओं को बेचने और विनिर्मितियों को, यथास्थिति, संस्थाओं, अस्पतालों या किसी अभिकरण को बेचने के लिए विनिर्मिति बनाने वालों को निदेश देने के लिए निदेश दे सकेगी ;

(ii) उपपैरा (1) के अधीन निदेश देने के प्रयोजन के लिए सक्रिय भेषजिक संघटकों या प्रपुंज ओषधियों या विनिर्मितियों के विनिर्माताओं से ऐसी सूचना मांग सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और ऐसा विनिर्माता, ऐसे समय के भीतर, जो सरकार नियत करें, अपेक्षित सूचना देगा ।

4. **किसी अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम कीमत की संगणना.**—(1) विनिर्दिष्ट शक्ति और मात्रा की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

चरण 1. प्रथमतः, फुटकर विक्रेता को अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् पी (एस) की औसत कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

फुटकर विक्रेता को औसत कीमत, पी(एस) = (उस ओषधि के गतिमान वार्षिक आवृत्त के आधार पर कुल बाजार आवृत्त के एक प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर बाजार अंश वाली ओषधि के सभी ब्रांडों और जेनेरिक रूपांतरों का फुटकर विक्रेता को कीमतों का योग) / (उस ओषधि के गतिमान वार्षिक आवृत्त के आधार पर कुल बाजार आवृत्त के एक प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर बाजार अंश वाली ओषधियों के ऐसे ब्रांडों और जेनेरिक रूपांतरों की कुल संख्या ।)

चरण 2: तत्पश्चात्, अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् पी(सी) की अधिकतम कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

पी(सी) = पी(एस).(1+ एम/100), जहां पर

पी(एस) = ऊपर चरण 1 में यथा संगणित ओषधि की उसी शक्ति और मात्रा के लिए फुटकर विक्रेता को औसत कीमत।

एम = फुटकर विक्रेता को मार्जिन का प्रतिशत और उसका मूल्य = 16

(2) उप पैरा (1) के अनुसार संगणित और सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम कीमत अनुसूचित आयातित विनिर्मितियों को भी लागू होगी ।

5. अनुसूचित विनिर्मितियों के विद्यमान विनिर्माताओं के लिए किसी नई ओषधि की फुटकर कीमत की संगणना. —(1) घरेलू बाजार में उपलब्ध नई ओषधि की फुटकर कीमत की गणना पैरा 4 के उप पैरा (1) में यथाउपबंधित होगी ।

(2) (i) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में अनुपलब्ध नई ओषधि की फुटकर कीमत पैरा 15 के अधीन बनाई गई विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों पर नई ओषधि के "फार्माकोइकोनोमिक्स" के सिद्धांत पर नियत की जाएगी ।

(ii) ऐसी नई ओषधि की फुटकर कीमत मद (i) में यथानियत फुटकर विक्रेता की कीमत पर फुटकर विक्रेता को सोलह प्रतिशत मार्जिन जोड़कर नियत की जाएगी ।

6. प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण कीमत में कमी नहीं होने की दशा में किसी अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम कीमत. —(1) जहां पर पैरा 4 के उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर हुई किसी अनुसूचित विनिर्मिति की फुटकर विक्रेता को औसत कीमत का प्रभाव,—

(क) अनुसूचित विनिर्मिति की फुटकर विक्रेता को कीमत के संबंध में फुटकर विक्रेता की औसत कीमत में कमी नहीं होना हो; और

(ख) एक प्रतिशत या अधिक बाजार अंश रखने वाले उस विनिर्मिति के लिए पांच विनिर्माताओं से कम विनिर्माता हो,

तो अधिकतम कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी : —

(i) उस दशा में जब उसी अनुसूचित विनिर्मिति के अन्य शक्ति और मात्रा प्ररूप अनुसूचित विनिर्मिति की अनुसूची में उपलब्ध है तब फुटकर विक्रेता की औसत कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :-

चरण 1 : प्रथमतः, ऐसे अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् पी(एस) की फुटकर विक्रेता को औसत कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

पी(एस) = $\text{पी}_{\text{एम}}$ {1-(पी_{i1}+पी_{i2}+.......) / एन*100) } जहां,

$\text{पी}_{\text{एम}}$ = विचाराधीन उच्चतम कीमत वाली अनुसूचित विनिर्मिति की फुटकर विक्रेता को कीमत

पी_{i} = ऐसी शक्ति और मात्रा प्ररूपों के फुटकर विक्रेता को औसत कीमत की संगणना के लिए ली गई अधिकतम कीमत वाली विनिर्मिति के संबंध में अनुसूचित विनिर्मितियों की सूची में अन्य शक्ति और मात्रा प्ररूपों (पैरा 4 के उप-पैरा (1) के चरण 1 में यथा संगणित) की फुटकर विक्रेता को औसत कीमत में कमी का प्रतिशत ।

एन = अनुसूचित विनिर्मितियों की सूची में ऐसे अन्य शक्ति या मात्रा प्ररूपों या दोनों की संख्या ।

चरण 2. तत्पश्चात् अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम कीमत अर्थात् पी(सी) की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

पी(सी) = पी(एस).(1+ एम/100), जहां पर

पी(एस) = इसमें ऊपर चरण 1 में यथा संगणित अनुसूचित विनिर्मिति की फुटकर विक्रेता को औसत कीमत और

एम = फुटकर विक्रेता को मार्जिन का प्रतिशत और उसका मूल्य = 16

(ii) उस दशा में जहां अनुसूचित विनिर्मिति के अन्य शक्ति और मात्रा प्ररूप अनुसूची में उपलब्ध नहीं है किंतु अनुसूचित विनिर्मिति के समान ही उसी उप चिकित्सा शास्त्र प्रवर्ग में अन्य अनुसूचित विनिर्मितियां है तो अधिकतम कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी :

चरण 1 : प्रथमतः ऐसी अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् पी(सी) की फुटकर औसत कीमत की संगणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी:

पी(एस) = $पी_{एम}$\{1-($पी_{i1}$+$पी_{i2}$+ ....) / एन*100) \} जहां,

$पी_{एम}$ = विचाराधीन विनिर्मिति की फुटकर विक्रेता को औसत कीमत की संगणना के लिए ली गई अधिकतम कीमत वाली विनिर्मिति की कीमत ।

$पी_i$ = फुटकर विक्रेता को औसत कीमत की संगणना के लिए ली गई अधिकतम कीमत वाली विनिर्मिति के संबंध में विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के समान ही उसी उप चिकित्सा शास्त्र प्रवर्ग में अन्य अनुसूचित विनिर्मितियों (पैरा 4 के उप पैरा (1) के चरण 1 में यथा संगणित) की फुटकर विक्रेता को *औसत कीमत* में कमी का प्रतिशत ।

एन = विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के समान ही उसी उप चिकित्सा शास्त्र प्रवर्ग में ऐसी अन्य अनुसूचित विनिर्मितियों की संख्या ।

चरण 2. तत्पश्चात् अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् P(c) की *अधिकतम कीमत निम्नानुसार* संगणित की जाएगी :

P(c)=P(s)*(1+M/100), जहां

P(s)= उपरोक्त चरण 1 में यथासंगणित अनुसूचित विनिर्मिति के फुटकर *व्यापारी* को *औसत कीमत* और

M= फुटकर व्यापारी को लाभ सीमा का % और इसका मूल्य = 16

स्पष्टीकरण- जहां विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति, एक उप चिकित्सा प्रवर्ग से अधिक के अधीन आ रही है वहां अनुसूचित विनिर्मिति के फुटकर व्यापारी को औसत कीमत सभी ऐसे उप चिकित्सा *प्रवर्गों* के अधीन अन्य अनुसूची विनिर्मितियों के फुटकर व्यापारी को *औसत कीमत* में *प्रतिशतता* की कमी पर विचार करने के पश्चात् संगणित की जाएगी और फुटकर व्यापारी को *निम्नतम औसत कीमत*, विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के अधिकतम कीमत की संगणना के लिए ली जाएगी ;

(iii) यदि अनुसूचित विनिर्मिति के अन्य रूप शक्तियां या खुराक हैं, अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं और विचाराधीन अनुसूचित उपचिकित्सा प्रवर्ग कोई नहीं हैं तो अधिकतम कीमत निम्नानुसार संगणित की जाएगी :

चरण 1 : ऐसी अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् P(s) की फुटकर व्यापारी को पहली औसत कीमत निम्नानुसार संगणित की जाएगी :

P(s)=Pm\{1-(P_{i1}+P_{i2}+...)/N*100)\} जहां,

P_m= *उच्चतम कीमत* निर्धारित विनिर्मिति की कीमत, विचाराधीन विनिर्मिति के फुटकर व्यापारी को औसत कीमत संगणित करने के लिए ली जाएगी ।

P_i= फुटकर व्यापारी को औसत कीमत संगणित करने के लिए ली गई उच्चतम कीमत निर्धारण विनिर्मिति के संबंध में विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के अनुसार उसी चिकित्सीय प्रवर्ग में अन्य अनुसूची विनिर्मिति (पैरा 4 के उपपैरा (1), चरण 1 में यथा संगणित) के फुटकर व्यापारी को औसत कीमत में % की कमी

N= विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के अनुसार उसी चिकित्सीय प्रवर्ग में ऐसी अन्य अनुसूची विनिर्मितियों की संख्या

चरण 2. तत्पश्चात्, अनुसूचित विनिर्मिति अर्थात् P(c) की अधिकतम कीमत निम्नानुसार संगणित की जाएगी :

P(c)=P(s). (1+M/100), जहां

P(s)= उपरोक्त चरण 1 में संगणित किए गए अनुसार अनुसूचित विनिर्मिति की फुटकर व्यापारी को औसत कीमत और

M= *फुटकर व्यापारी* को लाभ सीमा का % और इसका मूल्य = 16

स्पष्टीकरण- जहां विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति एक उप चिकित्सा प्रवर्ग से अधिक के अधीन आ रही है वहां अनुसूचित विनिर्मिति के फुटकर व्यापारी को औसत कीमत सभी ऐसे उप चिकित्सा प्रवर्गों के अधीन अन्य अनुसूची विनिर्मिति के फुटकर व्यापारी को औसत कीमत में प्रतिशतता की कमी पर विचार करने के पश्चात् संगणित की जाएगी और फुटकर *व्यापारी* को निम्नतम औसत कीमत विचाराधीन अनुसूचित विनिर्मिति के अधिकतम कीमत की *संगणना* के लिए ली जाएगी ;

(2) इस पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कीमत सरकार द्वारा नियत की गई है और (ओषधि कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन अधिसूचित की गई है वहां उपपैरा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

7. फुटकर व्यापारी को लाभ सीमा- अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत और नई ओषधियों की फुटकर कीमतों का नियतन करते समय कीमत का सोलह प्रतिशत फुटकर व्यापारी को लाभ सीमा के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

8. अधिकतम फुटकर कीमत- (1) अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम फुटकर कीमत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम कीमत और स्थानीय करों, जो भी लागू हो, के आधार पर विनिर्माताओं द्वारा निम्नानुसार नियत की जाएगी :-

अधिकतम फुटकर कीमत = अधिकतम कीमत + स्थानीय कर, जो लागू हों

(2) नई ओषधि की अधिकतम फुटकर कीमत सरकार द्वारा अवधारित फुटकर कीमत और स्थानीय कर, जो लागू हों, के आधार पर विनिर्माताओं द्वारा निम्नानुसार नियत की जाएगी :

अधिकतम फुटकर कीमत = फुटकर कीमत + स्थानीय कर, जो लागू हों

9. संदर्भ आंकड़े और बाजार आधारित आंकड़ों का स्रोत- (1) आरंभिक रूप में आंकड़ों पर आधारित बाजार का स्रोत विशेषज्ञता के कंपनी- आईएमएस स्वास्थ्य (आईएमएस) के औषध भेषजीय बाजार आंकड़ें के साथ उपलब्ध होगा और यदि सरकार आवश्यक समझती है तो यह समुचित सर्वेक्षण या मूल्यांकन द्वारा ऐसे आंकड़ों को विधिमान्य कर सकेगी ।

(2) सरकार समय के सम्यक् क्रम में ओषधियों से संबंधित बाजार आधारित आंकड़े के संग्रहण या प्राप्त करने के किसी अन्य समुचित तंत्र को लाएगी और आंकड़े का संग्रहण या उसे प्राप्त करने के संबंध में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस आदेश की अधिसूचना के पश्चात् पहली बार के लिए अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत के नियतन के लिए बाजार आधारित आंकड़ा मई, 2012 का आंकड़ा होगा ।

(4) बाजार में उपलब्ध नई ओषधियों की फुटकर कीमत के नियतन के लिए बाजार आधारित आंकड़ा, नई ओषधि की कीमत के नियतन के लिए आवेदन की प्राप्ति के ठीक छह मास पूर्व समाप्त होने वाले मास के लिए उपलब्ध आंकड़ा होगा ।

(5) पहली सूची में पुनरीक्षण के कारण अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम कीमत के नियतन के लिए बाजार आधारित आंकड़ा पहली अनुसूची के पुनरीक्षण की अधिसूचना के ठीक छह मास पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपलब्ध आंकड़ा होगा ।

(6) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विनिर्मितियों के लिए संदर्भ आंकड़े, जो ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 का भाग है, इस आदेश के पैरा 10 के उपबंधों के अनुसार होंगे।

10. ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन आने वाली विनिर्मितियों का कीमत निर्धारण- (1) अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतें, जो ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 की पहली अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट हैं, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन 31 मई, 2012 तक नियत और अधिसूचित की गई हैं, आगे एक वर्ष अर्थात् 30 मई, 2013 तक प्रभावी बनी रहेंगी और विनिर्माता औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा घोषित पूर्व कलेण्डर वर्ष के लिए वार्षिक थोक कीमत सूचक के अनुसार ऐसे अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतों का पुनरीक्षण कर सकेंगे और तत्पश्चात् इस आदेश के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसार सूत्र ऐसी विनिर्मितियों की अधिकतम कीमतों के नियतन के लिए लागू होगा ।

(2) अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतें, जो ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 की पहली अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट हैं, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995, के अधीन 31 मई, 2012 के पश्चात् नियत और अधिसूचित की गई हैं ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995, के अधीन ऐसी कीमतों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावी बनी रहेंगी और विनिर्माता औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा घोषित पूर्व कलेण्डर वर्ष और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक थोक कीमत सूचक के अनुसार ऐसे अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतों का पुनरीक्षण कर सकेंगे, इस आदेश के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसार सूत्र ऐसी विनिर्मितियों की अधिकतम कीमतों के नियतन के लिए लागू होगा ।

(3) अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतें, जो ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में भी विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु इस आदेश की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन नियत की गई हैं और 31 मई, 2012 के पश्चात् तक अधिसूचित की गई हैं, आगे एक वर्ष अर्थात् 30 मई, 2013 तक प्रभावी बनी रहेंगी और तत्पश्चात् ऐसी विनिर्मितियों को इस आदेश के पैरा 20 में यथाकथित गैर अनुसूचित अन्य विनिर्मितियों के मामले में विनियमित किया जाएगा ।

(4) अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमतें, जो ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में भी विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु इस आदेश की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन नियत हैं और 31 मई, 2012 अधिसूचित की गई हैं, आगे ऐसी कीमतों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रभावी बनी रहेंगी और तत्पश्चात् ऐसी विनिर्मितियों की कीमतों को इस आदेश के पैरा 20 में यथाकथित अन्य गैर अनुसूचित अन्य विनिर्मितियों के मामले में विनियमित किया जाएगा ।

11. अधिकतम कीमत या पैक की फुटकर कीमत. —(1) पैरा 4, पैरा 5 और पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार संगणित फुटकर व्यापारी को औसत कीमत खुराक (प्रति टैबलेट प्रति कैप्सूल या मात्रा में इंजेक्शन, जो पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है) आधारित

होगी और पैक की अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत, पैक में यथास्थिति, संख्या या मात्रा का उसी से गुणा करके प्राप्त की जाएगी ।

(2) पहली अनुसूची में गैर उपलब्ध अनुसूचित विनिर्मिति के लिए खुराक की इकाई की दशा में, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ओषधि के उस प्रवर्ग के लिए निम्नतम पैक आकार को उस अनुसूचित विनिर्मिति के लिए यथास्थिति, अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत की संगणना के लिए इकाई खुराक के रूप में लिया जाएगा और पैरा 5 की दशा में फुटकर कीमत प्राप्त करने के लिए बराबर गैर अनुसूचित ओषधियों की प्रति इकाई कीमत की गणना करते समय यह लागू होगी ।

12. विनिर्माता द्वारा आरंभ की गई आवश्यक ओषधियों की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध विनिर्मितियों (ब्रांडेड या जेनेरिक रूपांतर) की कीमत- (1) अनुसूचित विनिर्मिति का आरंभ कर रहा कोई विनिर्माता सरकार द्वारा उस अनुसूचित विनिर्मिति के लिए नियत की गई अधिकतम कीमत से बराबर या नीचे अनुसूचित विनिर्मिति की कीमत नियत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(2) जहां किसी अन्य विनिर्माता द्वारा विद्यमान ब्रांड को पुनः आरंभ किया जाता है वहां पैरा 13 के उपबंध लागू होंगे ।

13. विद्यमान विनिर्माताओं के लिए अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत- (1) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अनधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे :

परंतु निर्मित अनुसूचित विनिर्मितियों या अधिकतम कीमत की अधिसूचना की तारीख के पूर्व बाजार में उपलब्ध अनुसूचित विनिर्मितियों के मामले में, विनिर्माता ऐसी अधिसूचना की तारीख के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम फुटकर कीमत अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक न हों ।

(2) ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित विनिर्मितियों के दोनों रुपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विद्यमान विनिर्माता, सरकार द्वारा इस प्रकार नियत और अधिसूचित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर जो लागू हो) से निम्नतर कीमत पर विद्यमान अपनी अधिकतम फुटकर कीमत बनाए रखेंगे ।

(3) पैरा 16 के उपपैरा (2) और उपपैरा (3) के उपबंधों के अनुसार, पूर्व वर्ष की बाबत थोक कीमत सूचक में बढ़ोत्तरी के अनुसार अधिकतम फुटकर कीमत में वार्षिक बढ़ोत्तरी की जा सकती है :

परंतु थोक कीमत सूचक में गिरावट की दशा में, पैरा 16 के उप पैरा (4) के उपबंधों के अनुसार कीमत में तत्स्थानी कमी की जाएगी ।

14. अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत का नियतन - (1) सरकार, यथास्थिति, पैरा 4 और पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत को नियत और अधिसूचित करेगी और कोई विनिर्माता सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर जो लागू हों) से उच्चतर कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों को नहीं बेचेगा ।

(2) जहां कोई सरकार द्वारा विनिर्माता नियत की गई और अधिसूचित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर जो भी लागू हों) से अधिक उच्चतर कीमत पर अनुसूचित विनिर्मिति को बेचता है वहां ऐसा विनिर्माता अधिक प्रभारित रकम का उस पर ब्याज सहित ऐसे अधिक प्रभार की तारीख से जमा करने का दायी होगा ।

15. अनुसूचित विनिर्मितियों के विद्यमान विनिर्माताओं के लिए नई ओषधि की फुटकर कीमत का नियतन –

(1) सरकार, "फार्माकोइकोनोमिक्स" के सिद्धांतों पर नई ओषधियों की फुटकर कीमतों की सिफारिश करने की दृष्टि से इस आदेश की अधिसूचना के साठ दिन के भीतर ऐसे विशेषज्ञों की स्थायी समिति बनाएगी जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां आवश्यक ओषधियों की राष्ट्रीय सूची में यथाविनिर्दिष्ट ओषधि का कोई विद्यमान विनिर्माता खुराक और शक्ति सहित नयी ओषधि का आरंभ करता है, वहाँ ऐसा विद्यमान विनिर्माता, इस आदेश की अनुसूची 2 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 में सरकार से ऐसी नई ओषधि की कीमत के पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा ।

(3) उप पैरा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर सरकार घरेलू बाजार में उपलब्ध नई ओषधि की दशा में नई ओषधि की फुटकर कीमत पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंधों के अनुसार नियत करेगी और घरेलू बाजार में अनुपलब्ध नई ओषधि की दशा में सरकार उसे विशेषज्ञों की स्थायी समिति को अग्रेषित करेगी जो "फार्माइकोनोमिक्स" के सिद्धांतों पर आवेदन की जांच करेगी और आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सरकार को नई ओषधि की फुटकर कीमत की सिफारिश करेगी ।

(4) सरकार, उप पैरा (3) के अधीन सिफारिश की प्राप्ति पर ऐसी नई ओषधि की फुटकर कीमत तीस दिनों के भीतर नियत करेगी और ऐसी कीमत ऐसी नयी ओषधि के ऐसे आवेदक को लागू होगी ।

(5) जहां अनुसूचित विनिर्मिति का विद्यमान विनिर्माता, प्ररूप 1 में नई ओषधि की कीमत के पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां ऐसा विनिर्माता सरकार द्वारा नियत और अधिसूचित ऐसी कीमत से अधिक प्रभरित रकम को शास्ति के अतिरिक्त उसके ब्याज सहित जमा करने का दायी होगा ।

(6) अनुसूचित विनिर्मिति का कोई विद्यमान विनिर्माता सरकार द्वारा नियत की गई फुटकर कीमत (धन स्थानीय कर जो लागू हों) से उच्चतर कीमत पर ऐसी नई ओषधि को नहीं बेचेगा और ऐसे विनिर्माता के मामले में जो सरकार द्वारा नियत की गई फुटकर कीमत (धन स्थानीय कर जो लागू हों) से उच्चतर कीमत पर ऐसी नई ओषधि का बेचता पाया जाता है तो नई ओषधि का ऐसा विनिर्माता अधिक प्रभारित रकम को शास्ति के अतिरिक्त अधिक प्रभारित होने की तारीख से जमा करने का दायी होगा ।

16. अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत का पुनरीक्षण – (1) सरकार, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती कलेंडर वर्ष के लिए वार्षिक थोक कीमत सूचक (डब्लू पी आई) के अनुसार अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम कीमत को पुनरीक्षित करेगी और उसे प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को अधिसूचित करेगी ।

(2) पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के संबंध में थोक कीमत सूचक के आधार पर वर्ष के अप्रैल मास में एक बार अनुसूचित विनिर्मितियों की अधिकतम फुटकर कीमत (एम आर पी) को बढ़ा सकेगी और इस संबंध में सरकार का कोई पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

(3) पुनरीक्षण के बारे में जानकारी यदि की जाती है तो इसे ऐसे पुनरीक्षण के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप - 2 में या तो इलैक्ट्रानिक या वास्तविक रूप में सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और इस उप पैरा के अधीन जानकारी न दिया जाना का अधिकतम फुटकर कीमत (एम आर पी) के पुनरीक्षण न किए जाने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संबद्ध विनिर्माता पूर्व पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत (एम आर पी) से अधिक भारित रकम को अधिक भारित होने की तारीख से उस पर ब्याज सहित जमा करने के लिए दायी होगा ।

(4) थोक कीमत सूचक में गिरावट की दशा में, अधिकतम फुटकर कीमत में तत्स्थानी कमी होगी और निर्मित अनुसूचित विनिर्मितियों या बाजार में उपलब्ध विनिर्मितों के मामले में पुनरीक्षित अधिकतम कीमत की अधिसचूना की तारीख से पूर्व विनिर्माता ऐसी अधिसूचना की तारीख के 45 दिन के अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम फुटकर कीमत (एम आर पी) पुनरीक्षित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर जो लागू हों) से अधिक न हो और पुनरीक्षण के बारे में जानकारी सरकार को ऐसे पुनरीक्षण के 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप - 2 में या तो इलैक्ट्रानिक या वास्तविक रूप में भेजी जाएगी ।

(5) उपपैरा (4) के अधीन सूचना को न दिए जाने को अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) में अन्यूनीकरण के रूप में निर्वचित होगा और संबंधित विनिर्माता थोक कीमत सूचकांक में गिरावट पर आधारित पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत से अधिक प्रभारित रकम के रूप में ऐसे अधिक प्रभार लेने की तारीख से ब्याज के साथ जमा करने के लिए दायी होगा ।

17. **अनुसूचित विनिर्मिति सूची का संशोधन-**

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संसूचना प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर सरकार द्वारा प्रथम अनुसूची के संशोधन के लिए जो कारण हैं, स्पष्ट करते हुए विनिश्चय लिया जाएगा और प्रथम अनुसूची में संशोधन (संशोधनों) या पुनरीक्षण, यदि अपेक्षित है, अधिसूचित किया जाएगा और उसके पश्चात् अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर इस आदेश के उपबंधों के अनुसार प्रथम अनुसूची में बढ़ाई गई औषधियों के लिए अधिकतम कीमत नियत किया जाएगा ।

(2) प्रथम अनुसची से लोप की गई औषधियां गैर अनुसूचित विनिर्मितियों के प्रवर्ग के अधीन होंगी ।

18. **गतिमान वार्षिक आवर्त (एमएटी) के आधार पर अधिकतम कीमत का पुनरीक्षण गतिमान वार्षिक आवर्त के मूल्य के आधार पर अधिकतम कीमत का पुनरीक्षण कार्यान्वित किया जाएगा—**

(i) जैसे ही और जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची पुनरीक्षित होती है या इस आदेश के अधीन अधिकतम कीमत नियत करने की तारीख से पांच वर्ष होने पर, जो भी पहले हो ;

(ii) जब ऐसे अनुसूचित विनिर्मिति के विनिर्माताओं की संख्या, जो सरकार द्वारा नियत और अधिसूचित अधिकतम मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक कीमत विनिर्मितियों के लिए रखते हैं, निर्देश की तारीख को यथा विद्यमान उनकी संख्या के विनिर्माताओं द्वारा पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की कमी की गई हो ;

(iii) जब ऐसी अनुसूचित विनिर्मिति के विनिर्माताओं की संख्या, जो सरकार द्वारा नियत अधिकतम मूल्य का पच्चीस प्रतिशत से कम या उसके बराबर की कीमत अपनी अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए रखते हैं, निर्देश की तारीख को यथा विद्यमान उनकी संख्या के विनिर्माताओं द्वारा पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि की गई है ।

स्पष्टीकरण- मद (ii) और मद (iii) के प्रयोजन के लिए निर्देश की तारीख, अधिकतम कीमत के पहले पुनरीक्षण की तारीख मई, 2012 होगी और दूसरे या पश्चात्वर्ती पुनरीक्षण के लिए अधिकतम कीमत के पुनरीक्षण की पूर्व तारीख होगी ।

19. **कतिपय परिस्थितियों के अधीन औषधि के अधिकतम मूल्य का निर्धारण**- इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण परिस्थितियों की दशा में सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह किसी औषधि की अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उपयुक्त समझे, नियत कर सकेगी और जहां सरकार ने पहले से ही औषधि की अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत नियत की है और अधिसूचित है सरकार, उस वर्ष के थोक कीमत सूचकांक को ध्यान में लाए बिना अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत में वृद्धि या कमी करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अनुज्ञा दे सकेगी।

20. **गैर अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत को मानीटर करना—**

(1) सरकार सभी ओषधि जिसके अंतर्गत गैर अनुसूचित विनिर्मितियां भी हैं का अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) को मानीटर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई विनिर्माता औषधि के अधिकतम फुटकर कीमत में अधिकतम फुटकर कीमत के दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान न करे और जहां वृद्धि फुटकर कीमत के दस प्रतिशत से अधिक है तो उसे बारह मास के लिए अधिकतम फुटकर कीमत के दस प्रतिशत के स्तर तक कम किया जाएगा ।

(2) विनिर्माता शास्ति के अतिरिक्त अधिक प्रभारित कीमत को उस पर कीमत में वृद्धि की तारीख से ब्याज के साथ जमा करने के लिए दायी होगा ।

21. **अनुसूचित विनिर्मितियों की उपलब्धता को मानीटर करना-**

(1) सरकार अनुसूचित विनिर्मितियों और अनुसूचित विनिर्मितियों में अंतर्विष्ट सक्रिय भेषजिक अवयवों का उत्पादन और उपलब्धता को मानीटर करेगी और अनुसूचित विनिर्मितियों और अनुसूचित विनिर्मितियों में अंतर्विष्ट सक्रिय भेषजिक अवयवों के विनिर्माता इस आदेश के प्ररूप-III में यथा विवरणित तिमाही सूचना देगा ।

(2) किसी अनुसूचित विनिर्मिति का विनिर्माता जो अनुसूचित विनिर्मिति को बाजार में चालू रखने के लिए आशयित नहीं है एक लोक सूचना जारी करेगा और सरकार को ऐसे चालू न रखने के लिए आशयित तारीख से कम से कम छह मास के पहले इस संबंध में अनुसूची-II के प्ररूप- iv में संसूचित करेगा और सरकार ऐसे चालू न रखने के लिए आशयित तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर लोकहित में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विनिर्माता को अनुसूचित विनिर्मिति का उत्पादन अपेक्षित स्तर पर चालू रखने के लिए या आयात के लिए निर्देश दे सकेगी ।

22. **औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 1979 के अधीन प्रोद्भूत शोध्य की वसूली और उसे औषधि कीमत समकरण खाते में जमा करना-**

(1) सरकार, इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नोटिस द्वारा विनिर्माता, आयातक या वितरक से यथास्थिति, अपेक्षा कर सकेगी कि इस आदेश के प्रारंभ पर या पहले औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन प्रोद्भूत रकम को ओषधि कीमत समकरण खाते में जमा करेगा और विनिर्माता, आयातक या वितरक, यथास्थिति, उक्त रकम को उक्त खाते में उसी अवधि के भीतर जो सरकार उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जमा करेगा ।

(2) इस आदेश के प्रारंभ पर या पहले ओषधि कीमत समकरण खाते में विद्यमान रकम, यदि कोई हो, और उपपैरा (1) के अधीन जमा हुई रकम निम्न के लिए उपयोग होगी-

(क) विनिर्माता, आयातक या वितरक, यथास्थिति, को प्रतिधारण मूल्य और सामान्य कीमत के बीच की कमी या यथास्थिति उत्पादन में वृद्धि के प्रयोजन के लिए पूल की गई कीमत या ओषधि की उचित कीमत पर उपलब्धता और उसका साम्यिक वितरण सुनिश्चित करने हेतु भुगतान करने के लिए ;

(ख) सरकार द्वारा इस पैरा के अधीन कृत्यों के पालन में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए और ; और

(ग) भेषज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अभिवृद्धि के लिए और उनके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए ।

1998 GI/13-2

23. औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 1979 और 1995 के अधीन प्रभाराधिक्य की वसूली—

इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, नोटिस द्वारा विनिर्माताओं, आयातकों या वितरकों से यथास्थिति, सरकार द्वारा औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 और औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नियत और अधिसूचित कीमत से अधिक प्रभारित कीमत के कारण प्रोद्भूत रकम को इस आदेश के उपबंधों अधीन जमा करने की अपेक्षा करेगी ।

24. सरकार द्वारा नियत या पुनरीक्षित कीमत को प्रभाव में लाना, उसका संप्रदर्शन और उसका सबूत—

(1) ऐसी सभी अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए, जिनका अधिकतम कीमत (यथा लागू स्थानीय करों सहित), अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) से अधिक है, उसका विनिर्माता अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) के अधिकतम कीमत (यथा लागू स्थानीय करों सहित) से अधिक न होने लिए पुनरीक्षण करेगा :

परंतु यह कि अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम कीमत की अधिसूचना की तारीख से पहले उत्पादित या बाजार में उपलब्ध रहने की दशा में, विनिर्माता अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पैंतालींस दिन के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अनुसूचित विनिर्मिति की अधिकतम फुटकर कीमत अधिकतम फुटकर कीमत (यथा लागू स्थानीय करों सहित) से अधिक न हो ।

(2) प्रत्येक अनुसूचित विनिर्मिति के विक्रय के लिए आशयित विनिर्माता अमिट छाप चिह्न में विनिर्मिति के आधान के लेबल पर सरकार द्वारा राजपत्र में इस संबंध में पहले "अधिकतम फुटकर कीमत" और बाद में "सभी करों सहित" शब्दों के साथ अधिसूचित या आदेश किए गए उस विनिर्मिति की अधिकतम कीमत पर आधारित अधिकतम फुटकर और उसके फुटकर विक्रय के लिए पेश उनके न्यूनतम पैक को संप्रदर्शित करेगा ।

(3) प्रत्येक विनिर्माता वितरक, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को प्ररूप V में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा आच्छादित मूल्य निर्धारण या पुनरीक्षण के बारे में प्रदर्शित करते हुए कीमत सूची और पूरक कीमत सूची, यदि अपेक्षित हो, जारी करेगा ।

(4) प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार से किया जा रहा है कि उससे परामर्श का इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच सरल हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा ।

25. गैर अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत और उनकी कीमत सूची का संप्रदर्शन—

(1) प्रत्येक गैर अनुसूचित विनिर्मिति के विक्रय के लिए आशयित विनिर्माता अमिट छाप चिह्न में विनिर्मिति के आधान के लेबल पर सरकार द्वारा इस संबंध में 'पहले अधिकतम फुटकर कीमत' और बाद में 'सभी करों सहित' शब्दों के साथ अधिसूचित या आदेश किए गए उस विनिर्मिति की अधिकतम फुटकर कीमत और उसके फुटकर विक्रय के लिए पेश उनके न्यूनतम पैक को संप्रदर्शित करेगा ।

(2) प्रत्येक विनिर्माता वितरकों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित परिवर्तनों के लिए प्ररूप V में गैर अनुसूचित विनिर्मितियों की कीमत सूची और पूरक कीमत सूची यदि अपेक्षित हो, जारी करेगा ।

(3) प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता या आयातक द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच सरल हो वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची यदि अपेक्षित हो, को संप्रदर्शित करेगा ।

26. विनिर्मितियों के विक्रय कीमत का नियंत्रण—

कोई व्यक्ति किसी विनिर्मिति का विक्रय किसी उपभोक्ता को चालू कीमत सूची में विनिर्दिष्ट कीमत या उसके पैक या आधान के लेबल पर उपदर्शित कीमत, जो भी कम हो, से अधिक कीमत पर नहीं करेगा ।

27. विनिर्मितियों का विभाजित मात्रा में विक्रय—

कोई वितरक किसी विनिर्मिति की खुली मात्रा में उस कीमत पर जो विनिर्मिति की यथा अनुपात कीमत से अधिक हो, विक्रय नहीं करेगा ।

28. विनिर्माता, व्यवहारी या वितरक ओषधि का विक्रय से इंकार नहीं करेंगे—

ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए—

(क) कोई विनिर्माता या व्यवहारी किसी औषधि को बिना अच्छे और पर्याप्त कारणों से किसी वितरक को विक्रय से वापस लेना या विक्रय के लिए इंकार नहीं करेगा ;

(ख) कोई वितरक अपने पास उपलब्ध किसी औषधि को ऐसी औषधि के क्रय के लिए आशयित उपभोक्ता को विक्रय को विधारित या विक्रय के लिए इंकार नहीं करेगा ।

29. **अभिलेखों को रखना और निरीक्षण के लिए उन्हें प्रस्तुत करना—**

प्रत्येक विनिर्माता सक्रिय भेषजिक अवयवों के व्यक्तिगत विक्रय या उसके द्वारा विनिर्मित या आयातित और उसके द्वारा विपणित औषधियों का प्रपुंज, जो भी मामला हो, का अभिलेख रखेगा और विनिर्मितियों के यूनिटों और पैकों और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित ऐसे अन्य अभिलेख भी रखेगा और सरकार को किसी अभिलेख की मांग करने और विनिर्माता के परिसर पर ऐसे अभिलेख के निरीक्षण करने की शक्ति होगी ।

30. **प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—**

(1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई ऐसा राजपत्रित अधिकारी, जिसे इस निमित्त यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन किया गया है—

(क) किसी स्थान पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ;

(ख) किसी ऐसी औषधि को, जिसकी बाबत उसे यह संदेह है कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उसके ऐसे आधानों, पैकों या आवरकों सहित जिसमें यह औषधि पायी जाती है, तो अभिगृहीत कर सकेगा, और तत्पश्चात् न्यायालय में पेश किए जाने के लिए और ऐसे पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा ।

(ग) ऐसे किसी दस्तावेज, जैसे कैश-मेमों या उधार-मेमों, लेखा-बहियों और औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख को जिसकी बाबत उसे संदेह है कि किसी आदेश के उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, अभिगृहीत कर सकेगा ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध यथा संभव, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

31. **पुनर्विलोकन की शक्ति—**इस आदेश के पैरा 4, पैरा 5 और पैरा 6 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए सरकार को यथास्थिति, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या उसके द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन कर सकेगा और सरकार जैसा वह उचित समझे, ऐसे आवेदन पर आदेश कर सकेगी :

परंतु उपर्युक्त पैरा के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर सरकार द्वारा विनिश्चय किए जाने तक, यथास्थिति, किसी नई औषधि या अनुसूचित विनिर्मिति का विक्रय सरकार द्वारा नियत किसी ऐसी कीमत से अधिक कीमत पर, जो अधिकतम कीमत या फुटकर कीमत से यथास्थिति, अधिक हो जिसके पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है ।

32. **कतिपय मामलों में इस आदेश के उपबंधों का लागू नहीं होना—**

इस आदेश के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, —

(i) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) (उत्पाद पेटेंट) के अधीन पेटेंट की गई किसी नई औषधि देशी अनुसंधान व विकास के माध्यम से विकसित की जाए, जो कहीं और उत्पादित न हो, उसका उत्पादन करने वाले किसी विनिर्माता को यदि वह देश में इसके वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए

(ii) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) (प्रक्रिया पेटेंट) के अधीन पेटेंट की गई किसी नई औषधि का देशी अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित की गई किसी नवीन प्रक्रिया द्वारा देश में उत्पादन करने वाले विनिर्माता को देश में इसके वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए

(iii) भारत में इसके बाजार अनुमोदन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित किसी नई परिदान प्रणाली को अंतर्वलित करने वाली किसी नई औषधि का उत्पादन करने वाले विनिर्माता को :

परंतु इस पैरा के उपबंध तभी लागू होंगे जब औषधि महानियंत्रक (भारत) से ऐसी नई औषधि का अनुमोदन दर्शाने वाला कोई दस्तावेज को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस पैरा के प्रयोजन के लिए "नई औषधि" का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 122ङ के अधीन उसे दिया गया है ।

[फा.सं. 31011/17/2012-पीI-II]

शंभु कालोलीकर, संयुक्त सचिव

अनुसूची-1

[पैरा 2(न), (फ) देखें]

प्रा.-प्राथमिक, द्वि.- द्वितीय, तृ.-तृतीय

राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2011			
भाग : 1 –एनेस्थेसिया			
1.1 सामान्य एनसथेटिक्स और ऑक्सीज़न			
दवाइयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एथर	द्वि., तृ.	इन्हेलेशन	..
हेलोथेन वेपोराइज़र सहित	द्वि., तृ.	इन्हेलेशन	
आइसोफ्ल्यूरेन	द्वि., तृ.	इन्हेलेशन	
किटामाइन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा. / मिलि, 50 मिग्रा. / मिलि
नाइट्रस ऑक्साइड	प्रा., द्वि., तृ	इन्हेलेशन	
ऑक्सीज़न	प्रा., द्वि., तृ	इन्हेलेशन	
थियोपेन्टोन सोडियम	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	0.5 ग्रा., 1 ग्रा. पाउडर
शामिल की गई दवाइयां			
स्वेफ्ल्यूरेन	तृ	इन्हेलेशन	
प्रोपोफोल	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1% ऑयल सस्पेन्शन
1.2 लोकल एनसथेटिक्स			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
ब्यूपीवेकेन हाइड्रोक्लोराइट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	0.25%, 0.5%, 0.5% मिक्सड सहित 7.5% ग्लूकोस सोल्यूशन
लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	टॉपिकल फोर्मसए इन्जेक्शनए स्पायनल	2.5%, 1.2%, 5%+ 7.5% ग्लूकोस
लिग्नाकेन हाइड्रोक्लोराइड + एडरेनालाइन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1%, 2%+ एड्रानालाइन 1: 200,000
शामिल की गई दवाइयां			
ईएमएलए क्रीम	टी	क्रीम	
1.3 पिरयोपेरेटिव मेडिकेशन दवा) और बेहोश करने के लिए शार्ट टर्म अल्पावधि) प्रक्रिया			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एट्रोपाइन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	0.6 मिग्रा. /मिलि
डियाज़ापाम	प्रा., द्वि., तृ द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शनए सिरपए सपोसिटरी	5 मिग्रा. 5 मिग्रा. /मिलि 2 मिग्रा./5 मिलि 5 मिग्रा.
मिडाज़ोल्म	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा. / मिलि 5 मिग्रा. / मिलि
मोरफाइन सल्फेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा. / मिलि
प्रोमिथाज़ाइन	प्रा., द्वि., तृ	सिरप	5 मिग्रा. / 5 मिलि

भाग: 2 - एनलजेटिक, एंटिपायरेटिक, नोस्टेरोइडल एंटिइन्फलेमेट्री दवाइयां, गाउट के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाइयां तथा रियूमेटाइड विकृत्तियों में प्रयुक्त होने वाली रोग मोडिफाइन एजेंट			
2.1: गैर- ओपियाइड एनलजेसिक एंटिपायरेटिक और नोस्टेरोइडल एंटिइन्फलेमेट्री दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता

ऐसिटायल सेलिसिलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	325 मिग्रा., 350 मिग्रा.
डिक्लोफेनेक	तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
	तृ	इन्जेक्शन	25 मिग्रा. / मिलि
इब्यूप्रोफेन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	200 मिग्रा., 400 मिग्रा. 100 मिग्रा./ मिलि
पैरासिटामोल	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	150 मिग्रा. / मिलि
	प्रा., द्वि., तृ	सिरप	125 मिग्रा. / 5 मिलि
	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
	प्रा., द्वि., तृ	हथइक्षथथत्तथॅएथ,थत्तैथ.	80 मिग्रा., 170 मिग्रा.
2.2 ओपियाइड एनलजेसिक			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
मोरफाइन सल्फेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा. / मिलि
		गोलियां	10 मिग्रा.
शामिल की गई दवाइयां			
ट्रेमाडोल	द्वि., तृ	इन्जेक्शन कैपसूल	50 मिग्रा./ मिलि 50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
फेन्टानायल	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	50 यू.जी. / मिलि 2 मिलि एमपयूल

2.3 गाउट के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाइयां			
एलोप्यूरीनोल	द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा.
कोल्चीसिन	द्वि., तृ	गोलियां	0.5 मिग्रा.
2.4 रियूमेटाइड विकृत्तियों में प्रयुक्त होने वाली रोग मोडिफाइन एजेंट			
ऐज़ाथियोप्रिन	द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
मेथोट्रेक्सेट	द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा., 7.5 मिग्रा., 10 मिग्रा.
सल्फासेलाज़िन	द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
शामिल की गई दवाइयां			
हाइड्रोक्सीक्लोराक्वीन फोस्फेट	द्वि., तृ	गोलियां	200 मिग्रा.
लेफल्यूनोमाइड	द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा., 20 मिग्रा.

भाग: 3—एनलजेसिक और एनाफिलेक्सिस में प्रयुक्त दवाइयां

दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एडरेनालाइन बायटरट्रेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा. / मिलि
क्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	4 मिग्रा.
डेक्सक्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट	प्रा., द्वि., तृ	सिरप	0.5 मिग्रा. / 5 मिलि
डेक्सामिथाज़ोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.5 मिग्रा.
		इन्जेक्शन	4 मिग्रा. / मिलि
हाइड्रोक्रोटिसोन सोडियम सक्सीनेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा.
फेनिरामाइन मेलिऐट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	22.75 मिग्रा. / मिलि
प्रेडनिसोलोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा., 10 मिग्रा., 20 मिग्रा.
प्रोमिथाज़ाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा., 25 मिग्रा.
		सिरप	5 मिग्रा. / 5 मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
सिट्रिज़न	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	10 मिग्रा. 5 मिग्रा./ मिलि

भाग: 4 - प्वाइजिनिंग में प्रयुक्त एंटिडोट और अन्य पदार्थ

4.1: नॉनस्पेसिफिक

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
ऐक्टिवेटेड केरकोल	प्रा., द्वि., तृ	ऑरल	

4.2: स्पेसिफिक

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एट्रोपाइन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा./ मिलि
स्पेसिफिक एंटीस्नेक वेनम	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन पोलिवेलेन्ट सोल्यूशन/लायोफिलायज्ड पोलिवेलेन्ट सीरम	
कैल्शियम ग्लूकोनेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ मिलि
डेसफेरियोक्सामाइन मेसायलेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	500 मिग्रा.
मिथायलथियोनियम क्लोराइड मिथायलिन ब्ल्यू)	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./ मिलि
पेनिसिलामाइन	द्वि., तृ	गोलियां और कैपसूल	250 मिग्रा.
डिमारकाप्रोल	द्वि., तृ	इन्जेक्शन ढगथ.थथङ्गथझथ	50 मिग्रा./ मिलि
फ्ल्यूमाज़ेनिल	तृ	इन्जेक्शन	0.1 मिग्रा./ मिलि
सोडियम नाइट्रेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	30 मिग्रा./ मिलि
सोडियम थियोसल्फेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	250 मिग्रा./ मिलि
नेलोक्सोन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	0.4 मिग्रा./ मिलि
प्रालिडोक्साइम क्लोराइड (2–पीएएम)	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	25 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाइयां :			
एन-ऐसिटायलसायस्टिन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	200 मिग्रा./ मिलि (5 मिलि)

भाग : 5 - एंटिकानवलसेंट/एंटिइपिलिटिक्स

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
कार्बामेज़ापाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	100 मिग्रा. 200 मिग्रा. 100 मिग्रा./5 मिलि
डियाज़ापाम	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	5 मिग्रा. / मिलि
मैगनेशियम सल्फेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	500 मिग्रा. / मिलि
फेनोबारबिटोन	प्रा., द्वि., तृ द्वि., तृ प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन सिरप	30 मिग्रा., 60 मिग्रा. 200 मिग्रा./ मिलि 20 मिग्रा./5 मिलि
फेनायटोयिन सोडियम	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल और गोलियां सिरप इन्जेक्शन	50 मिग्रा., 100 मिग्रा. 25 मिग्रा./ मिलि 50 मिग्रा./ मिलि
सोडियम वेल्प्रोएट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	200 मिग्रा., 500 मिग्रा. 200 मिग्रा./5 मिलि
	तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
लोराज़ेपाम	तृ	इन्जेक्शन	2 मिग्रा./ मिलि

भाग : 6 - एंटि-इनफेक्टिव दवाइयां

6.1 एनहेलमिनथिक्स

6.1.1 इनटेस्टिनल एन्हेलमिनथिक्स			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एलबेन्डाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सस्पेन्शन	400 मिग्रा. 200 मिग्रा./ 5 मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
पिप्राज़ाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सोल्यूशन	4.5 ग्रा. 750 मिग्रा./5 मिलि
6.1.2 एंटिफिलेरियल			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
डाईइथायलकार्बाज़ाइन साइट्रेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
6.1.3 एंटिसिस्टोमल और एंटिट्रिमेटोड			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
प्रेजिक्वेन्टल	द्वि., तृ	गोलियां	600 मिग्रा.
6.2 एंटिबेक्टेरियल			
6.2.1 बेटालेक्टम दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एमोक्सीसिलिन	द्वि., तृ	पाउडर और सस्पेन्शन कैपसूल	125 मिग्रा. / 5 मिलि 250 मिग्रा., 500 मिग्रा.
एम्पीसीलिन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल पाउडर और सस्पेन्शन इन्जेक्शन	250 मिग्रा., 500 मिग्रा. 125 मिग्रा. / 5 मिलि 500 मिग्रा.
बैन्जाथाइन बेन्जायल पेनिसीलिन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	6 लाख,12 लाख यूनिट
सेफोटोक्साइम	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	125 मिग्रा.,250 मिग्रा. 500 मिग्रा.
सेफटाजिडिम	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	250 मिग्रा.,1 ग्रा.
सेफट्रियाक्सोन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	250 मिग्रा., 1 ग्रा.
सेफेलेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	सिरप कैपसूल	125 मिग्रा. / 5 मिलि 250 मिग्रा., 500 मिग्रा.
क्लोक्सासीलिन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल इन्जेक्शन लिक्विड	250 मिग्रा., 500 मिग्रा. 250 मिग्रा. 125 मिग्रा./ 5 मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
एमोक्सीसिलिन+ क्लेव्यूलिनिक ऐसिड	तृ	गोलियां पाउडर और सस्पेन्शन इन्जेक्शन	625 मिग्रा. 228.5 मिग्रा./5 मिलि 600 मिग्रा., 1.2 ग्रा.
सेफिक्सिम	तृ	गोलियां	100, 200 मिग्रा.
6.2.2 अन्य एंटिबेक्टेरियल			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एमिकासिन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	250 मिग्रा. / 2 मिलि
एजिथ्रोमाइसिन	द्वि., तृ	गोलियां सस्पे[illegible] इन्जेक्शन	100, 250,500 मिग्रा. 100 मिग्रा./5 मिलि 500 मिग्रा.
सिप्रोफ्लोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन गोलियां	[illegible] मिग्रा./100 मिलि 250 मिग्रा., 500 मिग्रा.
को-ट्राइमोक्साज़ोल (ट्राइमेथोप्रिम+ सल्फामिथाक्साज़ोल)	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सस्पेन्शन	80 + 400 मिग्रा., 160 + 800 मिग्रा. 40 + 200 मिग्रा. / 5 मिलि
डॉकसीसाइकलिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा.
एरिथ्रोमाइसिन ऐस्टोलेट	प्रा., द्वि., तृ	सिरप गोलियां	125 मिग्रा./ 5 मिलि 250 मिग्रा., 500 मिग्रा.
जैन्टामाइसिन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./मिलि, 40 मिग्रा. /मिलि
मैट्रोनिडाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	200 मिग्रा.,400 मिग्रा. 500 मिग्रा./100 मिलि

		सिरप	100 मिग्रा./5 मिलि
नाइट्रोफ्यूरेनटियोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा.
सल्फाडियाज़िन	द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
वेन्कोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड	तृ	इन्जेक्शन	500 मिग्रा., 1 ग्रा.
6.2.3 एंटिलेपरोसी दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
क्लोफाज़िमिन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल	50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
डेपसोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
रिफैम्पीसिन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल और गोलियां	150 मिग्रा., 300 मिग्रा.
6.2.4 एंटिट्यूबरक्लोसिस दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**ताकत**
इथामब्यूटोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	200 मिग्रा., 400 मिग्रा., 600 मिग्रा., 800 मिग्रा.
आइसोनियाज़िड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	50 मिग्रा., 100 मिग्रा., 300 मिग्रा. 100 मिग्रा./5 मिलि
ऑफ्लोक्सीन	द्वि., तृ	गोलियां सिरप	100 मिग्रा., 200 मिग्रा. 50 मिग्रा. / 5 मिलि
पायराज़िनामाइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा., 750 मिग्रा., 1000 मिग्रा., 1500 मिग्रा.
रिफैम्पीसिन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल/गोलियां सिरप	50 मिग्रा., 150 मिग्रा., 300 मिग्रा., 450 मिग्रा. 100 मिग्रा. / 5 मिलि
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	0.75 ग्रा., 1 ग्रा.
6.3 एंटिफंगल दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	
एम्फोटेरेसिन बी	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा.
क्लोट्रिमाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	पेसारिज़ जॅल	100 मिग्रा., 200 मिग्रा., 2%
फ्ल्यूकोनाज़ोल	द्वि., तृ	कैपसूल और गोलियां	50 मिग्रा., 100 मिग्रा., 150 मिग्रा., 200 मिग्रा.
ग्रेसोफ्यूलेविन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल और गोलियां	125 मिग्रा., 250 मिग्रा.
नायस्टेटिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां पेसारिज	500,000 आईयू 100,000 आईयू
6.4 एंटिवायरल दवाइयां			
6.4.1 एंटिहरपीज दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एकायक्लोविर	द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन सस्पेन्शन	200 मिग्रा., 400 मिग्रा. 250 मिग्रा., 500 मिग्रा. 400 मिग्रा. / 5 मिलि
6.4.2 एंटिरिट्रोवायरल दवाइयां			
6.4.2.1 न्यूकलियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
डिडानोसिन	द्वि., तृ	गोलियां	250 मिग्रा., 400 मिग्रा.
लेमियूडाइनन	द्वि., तृ	गोलियां	150 मिग्रा.
लेमियूडाइन+ नेविरेपाइन+ स्टेव्यूडाइन	द्वि., तृ	गोलियां	150 मिग्रा.+ 200 मिग्रा. + 30 मिग्रा.
लेमियूडाइन+ ज़िडोव्यूडाइन	द्वि., तृ	गोलियां	150 मिग्रा.+ 300 मिग्रा.
स्टेव्यूडाइन	द्वि., तृ	कैपसूल	15 मिग्रा., 30 मिग्रा., 40 मिग्रा.
ज़िडोव्यूडाइन	द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा., 300 मिग्रा.
शामिल की गई दवाइयां			

स्टेव्यूडाइन + लेमियूडाइन	द्वि., तृ	गोलियां	30 मिग्रा. + 150 मिग्रा.
ज़िडोव्यूडाइन+ लेमियूडाइन+ नेविरेपाइन	द्वि., तृ	गोलियां	300 मिग्रा.+ 150 मिग्रा.+ 200 मिग्रा.
6.4.2.2 न्यूकलियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ऐफाविरेन्ज़	द्वि., तृ	कैपसूल	200 मिग्रा., 600 मिग्रा.
नेविरेपाइन	द्वि., तृ	कैपसूल सस्पेन्शन	200 मिग्रा. 50 मिग्रा. / 5 मिलि
6.4.2.3 प्रोटीज इनहिबिटर			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
इंडीनेविर	द्वि., तृ	कैपसूल	200 मिग्रा., 400 मिग्रा.
नेलिफिनेविर	द्वि., तृ	कैपसूल	250 मिग्रा.
रिटोनेविर	द्वि., तृ	कैपसूल सिरप	100 मिग्रा., 400 मिग्रा./ 5 मिलि
सेक्यूनेविर	द्वि., तृ	कैपसूल	200 मिग्रा.
6.5 एंटिप्रोटोजोल दवाइयां			
6.5.1 एंटिमोयिबिक तथा एंटिगयार्डियासिस दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
डाईलोक्सानाइड फ्यूरेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
मेट्रोनिडाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	200 मिग्रा., 400 मिग्रा. 500 मिग्रा. / 100 मिलि
6.5.2 एंटिलेसमेनियासिस दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एम्फोटेरेसिन बी	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा.
पैन्टामिडिन आइसोथियोनेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	200 मिग्रा.
सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ मिलि
6.5.3 एंटिमलेरियल दवाइयां			
6.5.3.1 क्यूरेटिव इलाज के लिए			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
आरटीस्यूनेट केवल सल्फाडोक्सीन+ पायरिमिथामाइन कम्बीनेशन के साथ प्रयोग में)	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
क्लोरोक्वीन फोस्फेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन सिरप	150 मिग्रा. बेस 40 मिग्रा. / मिलि 50 मिग्रा. / 5 मिलि
प्राइमाक्वीन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	2.5 मिग्रा., 7.5 मिग्रा.
पायरिमिथामाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा.
क्वीनिन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	300 मिग्रा. 300 मिग्रा. / मिलि
सल्फाडोक्सीन+ पायरिमिथामाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.+ 25 मिग्रा.

शामिल की गई दवाइयां			
किलिन्डामाइसिन	द्वि., तृ	गोलियां	150, 300 मिग्रा.
6.5.3.2 प्रोफिलेक्सिस के लिए			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
शामिल की गई दवाइयां			
मेफ्लोक्वीन	द्वि., तृ	गोलियां	250 मिग्रा. बेस
6.5.4 एंटिन्यूमोसिसटोसिस तथा एंटिटोक्सोप्लासमोसिस दवाइयां			

1998GI/13-3

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
को-ट्राइमोक्साज़ोल (ट्राइमेथोप्रिम+ सल्फामिथाक्साज़ोल)	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सस्पेन्शन	80 + 400 मिग्रा., 160+ 800 मिग्रा. 40 + 200 मिग्रा. / 5 मिलि
पैन्टामिडिन आइसोथियोनेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	200 मिग्रा.

भागः 7 - एंटिमाइग्रेन दवाइयां			
7.1: गंभीर घात के इलाज के लिए			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एसिटायल सेलिसिलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	300 – 350 मिग्रा.
डाईहाइड्रोऐरगोटामाइन	द्वि., तृ	गोलियां	1 मिग्रा.
पैरासिटामोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
7.2: प्रोफिलेक्सिस के लिए			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
प्रेप्रानोल हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा., 40 मिग्रा.

भागः 8 - एंटिन्यूप्लास्टिक, इम्युनोसूप्रसिव तथा पेलियेटिव परिचर्या में प्रयुक्त दवाइयां			
8.1: इम्युनोसूप्रसिव दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एजाथियोप्राइन	तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
साइक्लोसपोराइन	तृ	कैपसूल	10 मिग्रा., 25 मिग्रा., 50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
		कन्सन्ट्रेट के लिए इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ मिलि
8.2: सिटोटोक्सिक दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एक्टिनोमाइसिन डी	तृ	इन्जेक्शन	0.5 मिग्रा.
एल्फा इन्टरफेरोन	तृ	इन्जेक्शन	3 मिलियन आईयू
बिल्योमाइसिन	तृ	इन्जेक्शन	15 मिग्रा.
बूसूलफेन	तृ	गोलियां	2 मिग्रा.
सीसप्लेटिन	तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./ वायल 50 मिग्रा./ वायल
साइक्लोफोस्फामाइड	तृ	गोलियां इन्जेक्शन	50 मिग्रा., 200 मिग्रा. 500 मिग्रा.
साइटोसिन ऐराबिनोसाइड	तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ वायल 500 मिग्रा./ वायल 1000 मिग्रा./ वायल
डेनाज़ोल	तृ	कैपसूल	50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
डोक्सोरुबिसीन	तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा., 50 मिग्रा.
एटोपोसाइड	तृ	कैपसूल इन्जेक्शन	100 मिग्रा. 100 मिग्रा./ 5 मिलि वायल
फ्ल्यूटामाइड	तृ	गोलियां	250 मिग्रा.
5.फ्ल्योरोरेसिल	तृ	इन्जेक्शन	250 मिग्रा. / 5 मिलि
फोलिनिक ऐसिड	तृ	इन्जेक्शन	3 मिग्रा. / मिलि
जैमसिटाबिन हाइड्रोक्लोराइड	तृ	इन्जेक्शन	200 मिग्रा. 1 ग्रा.

एल-एसपारागिनेज़	तृ	इन्जेक्शन	5000 के.यू.
मेल्फालेन	तृ	गोलियां	2 मिग्रा., 5 मिग्रा.
मेरकेप्टोप्यूरिन	तृ	गोलियां इन्जेक्शन	50 मिग्रा. 100 मिग्रा. / मिलि
मेथोट्रिक्सेट	तृ	गोलियां इन्जेक्शन	2.5 मिग्रा. 50 मिग्रा./ मिलि
मिटोमाइसिन-सी	तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा.
पेक्लिटेक्सेल	तृ	इन्जेक्शन	30 मिग्रा./ 5 मिलि
प्रोकार्बाज़ाइन	तृ	कैपसूल	50 मिग्रा.
विनब्लास्टिन सल्फेट	तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा.
विनक्रिस्टीन	तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
कार्बोप्लेटिन	तृ	इन्जेक्शन	150 मिग्रा., 450 मिग्रा. वायल
डेकार्बाज़िन	तृ	इन्जेक्शन	500 मिग्रा.
डेयनोरबीसिन	तृ	इन्जेक्शन	20 मिग्रा. वायल
आइफोसफामाइड	तृ	इन्जेक्शन	1 ग्रा./2 मिलि वायल
मेस्ना	तृ	इन्जेक्शन	200 मिग्रा.
ऑक्सालीप्लेटिन	तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा. वायल
इमाटिनिब	तृ	गोलियां	100 मिग्रा., 400 मिग्रा.
क्लोरामब्यूसिल	तृ	गोलियां	2 मिग्रा.

8.3: हार्मोन तथा एंटिहार्मोन			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
प्रेडनिसोलोन	द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा.
		इन्जेक्शन	20 मिग्रा., 25 मिग्रा. (सोडियम फोस्फटे और सक्सीनेट के समानद्ध)
रेलोक्सीफेन	तृ	गोलियां	60 मिग्रा.
टेमोक्सीफेन साइट्रेट	तृ	गोलियां	10 मिग्रा., 20 मिग्रा.
8.4: पेलियएटिव परिचर्या में प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
मोरफाइन सल्फेट	तृ	गोलियां	10 मिग्रा.
ऑनडेन्सेट्रोन	द्वि., तृ	गोलियां	4 मिग्रा., 8 मिग्रा.
		इन्जेक्शन	2 मिग्रा./ मिलि
		सिरप	2 मिग्रा./5 मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
फिलग्रास्टीम	तृ	इन्जेक्शन	1 मिलि वायल
एलोप्यूरीनोल	तृ	गोलियां	100 मिग्रा.

भाग: 9 - एंटिपार्किन्सोनिज्म दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ब्रोमोक्रिप्टाइन मेसायलेट	द्वि., तृ	गोलियां	1.25 मिग्रा., 2.5 मिग्रा.
लेवोडोपा+ कार्बिडोपा	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा.+ 10 मिग्रा. 250 मिग्रा.+ 25 मिग्रा. 100 मिग्रा.+ 25 मिग्रा.
ट्राईहेक्सीफेनिडायल हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	2 मिग्रा.

भाग : 10 - रक्त प्रभावित करने वाली दवाइयां

10.1: एंटिएनेमिक दवाइयां

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
सायनाकोबालामाइन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा./ मिलि
फेरस सल्फेट/फ्यूमरेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	60 मिग्रा. ऐलिमेन्टल आयरन के बराबर गोलियां
		ऑरल सोल्यूशन	25 मिग्रा. ऐलिमेन्टल आयरन सल्फेट के समान)/ मिलि
फोलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	1 मिग्रा., 5 मिग्रा.
आयरन डेक्सट्रोन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा. आयरन/ मिलि
पायरिडोक्सीन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा.

10.2: कोएगुलेशन प्रभावित करने वाली दवाइयां

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
हेपारिन सोडियम	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1000 आईय/ मिलि 5000 आईयू/ मिलि
प्रोटामिन सल्फेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./ मिलि
फायटोमेनाडियोन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./ मिलि
वेराफेरिन सोडियम	द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा.

शामिल की गई दवाइयां

एनोक्सापेरिन	तृ	इन्जेक्शन	40 मिग्रा., 60 मिग्रा.

भाग : 11 - रक्त उत्पाद तथा प्लाज्मा विस्थापन

11.1: प्लाज्मा विस्थापन

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
डेक्सट्रान .40	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10%
डेक्सट्रोन .70	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	6%
फ्रेश फ्रज़न प्लाज़्मा	त	इन्जेक्शन	
हाइड्रोक्सीइथायल स्टार्च हेटास्टार्च)	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	6%
पोलिजेलिन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	3.5%

11.2: विशिष्ट उपयोग के लिए प्लाज्मा फ्रेक्शंस

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एलब्यूमिन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	5%, 20 %
क्रायप्रेसिपिटेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	
फेक्टर टप्प कन्सेन्ट्रेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	ड्राईड
फेक्टर प्प कॉम्पलेक्स ; कोग्यूलेटियोन फेक्टर प्पटप्प प्प्ए ग्ड्ढ	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	ड्राईड
प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	

भाग : 12 - कार्डियोवसुकूलर दवाइयां

12.1: एंटिएंगिनल दवाइयां

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता

एसिटायल सेलिसिलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	75 मिग्रा., 100 मिग्रा., 350 मिग्रा. सोल्यूबल/घुलनशील
डिल्टियाज़ेम	द्वि., तृ	गोलियां	30 मिग्रा., 60 मिग्रा.
ग्लायसरिल ट्राईनाइट्रेट	प्रा., द्वि., तृ	सबलिंगवल गोलियां इन्जेक्शन	0.5 मिग्रा. 5 मिग्रा./ मिलि
आईसोसोरबिड 5 मोनोनाइट्रेट/ डाईनाइट्रेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा., 20 मिग्रा.
मेटोप्रोलोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	25 मिग्रा.,50 मिग्रा. 1 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाईयां			
क्लोपिडोगरेल	तृ	गोलियां	75 मिग्रा.
12.2: एंटिरिदमिक दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
ऐडेनोसिन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	3 मिग्रा./ मिलि
एमियोडेरोन	द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	100 मिग्रा.,200 मिग्रा. 50 मिग्रा./ मिलि(3 मिलि एम्पयूल)
डिल्टियाज़ेम	द्वि., तृ	गोलियां	30 मिग्रा.,60 मिग्रा.
	तृ	इन्जेक्शन	5 मिग्रा./ मिलि

एस्मोलोल	तृ	इन्जेक्शन	10 मिग्रा./ मिलि
लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1%, 2%
प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड	तृ	गोलियां इन्जेक्शन	250 मिग्रा. 100 मिग्रा./ मिलि
वेरापामिल	द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	40 मिग्रा., 80 मिग्रा. 2.5 मिग्रा./ मिलि
12.3: एंटिथिपरटेन्सिव दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एम्लोडिपिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	2.5 मिग्रा., 5 मिग्रा.
एटेनोलोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
एनालाप्रिल मेलिएट	प्रा., द्वि., तृ तृ	गोलियां इन्जेक्शन	2.5 मिग्रा.,5 मिग्रा. 1.25 मिग्रा./ मिलि
लोसारटेन पोटाशियम	द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा., 50 मिग्रा.
मिथायलडोपा	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	250 मिग्रा.
नाइफडिपिन	द्वि., तृ	कैपसूल गोलियां सस्टेन्ड रिलिज गोलियां और कैपसूल	5 मिग्रा.,10 मिग्रा. 10 मिग्रा.,20 मिग्रा. 10 मिग्रा.,20 मिग्रा.
सोडियम नाइट्रोपिरियोसाइड	तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा./ 5 मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
हाइड्रोक्लोरथियाज़िड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	12.5, 25 मिग्रा.

12.4: हृदयघात में प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
डिगोक्सीन	द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन एलिक्सर	0.25 मिग्रा. 0.25 मिग्रा./ मिलि 0.05 मिग्रा./ मिलि
डोब्यूटामिन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	50 मिग्रा./ मिलि
डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	40 मिग्रा./ मिलि

12.5: एंटिथ्रोमबोटिक दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एसिटायल सेलिसिलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	75 मिग्रा., 100 मिग्रा., 350 मिग्रा. सोल्यूबल/घुलनशील
हेपारिन सोडियम	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1000 आईयू / मिलि 5000 आईयू / मिलि
स्ट्रेप्टोकिनेस	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	750,000 आईयू 15,00,000 आईयू
यूरोकिनेस	तृ	इन्जेक्शन	500,000 आईयू / मिलि 10,00,000 आईयू / मिलि
शामिल की गई - नई श्रेणी			
12.6 हीपोलिपीडेमिक दवाइयां			
एटोरवास्टेटिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा.,10 मिग्रा.

भाग : 13 - ड्रमाटालॉजिकल दवाइयां (टोपिक्ल)

13.1: एंटिफंगल दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
मिकोनाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	ऑयन्टमेन्ट और क्रीम	2%
13.2: एंटिइन्फेक्टिव दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एकायक्लोवीर	द्वि., तृ	क्रीम	5%
फेमायसेटिन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	क्रीम	0.5%
मिथायलरोसेनेलिनियम क्लोराइड जेन्टीयन वॉयलेट)	प्रा., द्वि., तृ	एक्यूइयस सोल्यूशन	0.5%
नियोमाइसिन+ बेसिट्रेसिन	प्रा., द्वि., तृ	ऑयन्टमेन्ट	5 मिग्रा., 500 आईयू / ग्रा.
पोविडोन आयोडिन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन और ऑयन्टमेन्ट	5%
सिल्वर सल्फाडियाज़िन	प्रा., द्वि., तृ	क्रीम	1%
13.3: एंटिइन्फलेमेट्री तथा एंटिप्रूरिटिक दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
बिटामिथाज़ोन डाईप्रोपियोनेट	प्रा., द्वि., तृ	क्रीम& ऑयन्टमेन्ट	0.05%
केलामाइन	प्रा., द्वि., तृ	लोशन	
13.4: अस्ट्रिनजेंट दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
ज़िंक ऑक्साइड	प्रा., द्वि., तृ	डस्टिंग पाउडर	

13.5: स्किनडिफ्रेन्टिएशन तथा प्रोलिफरेशन

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
कॉल तार	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	5%
डाईथ्रानोल	तृ	ऑयन्टमेन्ट	0.1–2%
ग्लायसरिन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	
सेलिसेलिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	5%
13.6: स्कैबिसाइड और पेडिक्यूलिसाइड			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
बेन्जायल बेन्जूऐट	प्रा., द्वि., तृ	लोशन	25 %
शामिल की गई दवाइयां			
परमेथ्रीन	द्वि., तृ	क्रीम लोशन	5% 1%, 5%

भाग: 14 - डाग्नोस्टिक एजेंट

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
14.1: ऑपथलमिक दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
फ्ल्यूरेसिन	द्वि., तृ	आँख का ड्रोप	1%
लिगनोकेन	द्वि., तृ	आँख का ड्रोप	4%
ट्रोपिकामाइड	द्वि., तृ	आँख का ड्रोप	1%
14.2: रेडियोकोनस्टांट मीडिया			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
बेरियम सल्फेट	द्वि., तृ	सस्पेन्शन	100% डब्ल्यू/वीए 250% डब्ल्यू/वी
कैल्शियम आइपोडेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	3 ग्रा.
आयोपानोयिक ऐसिड	द्वि., तृ	[illegible]	500 मिग्रा.
मेगल्यूमाइन आयोथ्लामेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	60% डब्ल्यू/वी (आयोडिन = 280 मिग्रा. / मिलि)
मेगल्यूमाइन आयोट्रोक्सेट	द्वि., तृ	सोल्यूशन	5–8 ग्रा. आयोडिन में 100–250 मिलि
प्रोपिलियोडोन	द्वि., तृ	ऑयलिए सस्पेन्शन	500–600 मिग्रा. / मिलि
सोडियम आयोथ्लामेट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	70% डब्ल्यू/वी (आयोडिन =420 मिग्रा. / मिलि)
सोडियम मेगल्यूमाइन डाईएट्रिजोऐट	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	60% डब्ल्यू/वी (आयोडिन कन्क. =292 मिग्रा./ मिलि), 76% डब्ल्यू/वी (आयोडिन कन्क. =370 मिग्रा./ मिलि)

भाग: 15 - डिसइनफेक्टेंट्स तथा एंटिसेप्टिक

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
15.1: ऐंटिसेप्टिक			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एक्रीफ्लेविन+ ग्लायसरिन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	
बेन्जोइन कम्पाउंड	प्रा., द्वि., तृ	टिंक्चर	
सिट्रिमाइड	प्रा., द्वि., त	सोल्यूशन	20% डायल्यूशन के लिए कन्क.)
क्लोरोहेक्सीडिन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	5% (डायल्यूशन के लिए कन्क.)
इथायल एल्कोहॅल 70:	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	
जैन्टियान वॉयलेट	प्रा., द्वि., तृ	पैन्ट	0.5%, 1%
हाइड्रोज़न पेरोक्साइड	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	6%
पोविडोन आयोडिन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	5%, 10%

15.2: डिसइन्फेक्टेंट्स

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
बिलिचिंग पाउडर	प्रा., द्वि., तृ	पाउडर	30 % डब्ल्यू/डब्ल्यू उपलब्ध क्लोरीन से सामग्री कम नहीं है (आई.पी. के आधार पर)
फोरमालडिहाइड सोल्यूशन	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	34 मिलि फोरमालडिहाइड सोल्यूशन को 100 मिलि पानी के साथ डायल्यूट करके प्रस्तुत करना (आई.पी. के आधार पर)
ग्लूटरालडिहाइड	द्वि., तृ	सोल्यूशन	2%
पोटाशियम परमाण्गानेट	प्रा., द्वि., तृ	क्रिस्टल के लिए सोल्यूशन	

भाग : 16 -डायूरेटिक्स

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
फूसामाइड	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन गोलियां	10 मिग्रा./ मिलि 40 मिग्रा.
हाइड्रोक्लोरोथियाज़िड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा., 50 मिग्रा.
मेनिनटोल	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	10%, 20%
स्प्रिोनोलेक्टोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा.

भाग: 17 - गेस्ट्रोइनटेस्टिनल दवाइयां

17.1: एंटासिड तथा अन्य एंटिअलसर दवाइयां

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एल्यूमिनियम हाईड्रोक्साइड+ मैगनिशियम हाईड्रोक्साइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सस्पेन्शन	
ओमेप्राज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल	10 मिग्रा., 20 मिग्रा., 40 मिग्रा.
रेनेटिडिन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	25 मिग्रा. / मिलि
शामिल की गई दवाईयां			
पैन्टोप्राज़ोल	तृ	इन्जेक्शन	40 मिग्रा.
फेमोटिडिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	20 मिग्रा.

17.2: एंटिइमिटिक्स दवाईयां

दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
डोमपेरिडोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप	10 मिग्रा. 1 मिग्रा. / मिलि
मेटोक्लोप्रामाइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप इन्जेक्शन	10 मिग्रा. 5 मिग्रा. / 5 मिलि 5 मिग्रा. / मिलि
प्रोमेथाज़िन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां एलिक्सर और सिरप इन्जेक्शन	10 मिग्रा., मिग्रा. 5 मिग्रा./ 5 मिलि 25 मिग्रा. / मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
ऑनडेन्सेट्रोन	द्वि., तृ	गोलियां सिरप इन्जेक्शन	4 मिग्रा., 8 मिग्रा 2 मिग्रा./ मिलि 2 मिग्रा./ मिलि

17.3: एंटिइन्फलेमेट्री दवाईयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
शामिल की गई दवाईयां			
5.एमिनो सेलिसिलिक ऐसिड ; 5.ऐएसऐद्ध	द्वि., तृ	गोलियां	400 मिग्रा.

17.4: एंटिस्पासमोडिक दवाईयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
डाईसाइक्लोमाइड हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	10 मिग्रा. 10 मिग्रा./ मिलि
हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	10 मिग्रा. 20 मिग्रा./ मिलि

17.5: लेक्सेटिव			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
बिसाकोडिल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सपोसिटरी	5 मिग्रा.
इस्पागूला	प्रा., द्वि., तृ	ग्रेन्यूल्स	

17.6: दस्तों के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाईयां			
17.6.1 मुखसेवी निर्जलीकरण लवण			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
ऑरल रिहायड्रेशन सॉल्ट	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन के लिए पाउडर	ग्लूकोस: 13.5 ग्रा./ एल. सोडियम क्लोराइड: 2.6 ग्रा./ एल. पोटाशियम क्लोराइड: 1.5 ग्रा./ एल. ट्राईसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट+: 2.9 ग्रा./एल. 200मिलि, 500 मिलि, 1000 मिलि, में डायल्यूशन के लिए पाउडर (आई.पी. के आधार पर)

17.6.2 दस्तरोधी दवाईयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
शामिल की गई दवाईयां			
जिंक सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	सिरप	20 मिग्रा /5 मिलि

भाग: 18 - हार्मोन, अन्य एंडोक्रिन दवाईयां और गर्भ निरोधक

18.1: एनड्रिनल हार्मोन और संश्लिष्ट विस्थापन			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
डेक्सामिथाज़ोन	द्वि., तृ	गोलियां इन्जेक्शन	0.5 मिग्रा. 4 मिग्रा./ मिलि
हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा. / मिलि
मिथायल प्रेडनीसोलोन	द्वि., तृ	इन्जेक्शन	40 मिग्रा./ मिलि
प्रेडनीसोलोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा., 10 मिग्रा., 20 मिग्रा.

18.2: एंड्रोजन			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म	प्रबलता
टेस्टोस्टेरियोन	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल इन्जेक्शन	40 मिग्रा. (अनडिकेन्योऐट के समान) 25 मिग्रा./ मिलि (प्रोपियोनेट के समान)

18.3: गर्भ निरोधक

1998 GI/13-4

18.3.1: हार्मोन गर्भ निरोधक			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एथिनायलएस्ट्रेडियोल + लेवोनोरगेस्ट्रोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.03 मिग्रा. + 0.15 मिग्रा.
एथिनायलएस्ट्रेडियोल+ नोरएथिस्ट्रियोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.035 मिग्रा.+ 1.0 मिग्रा.
हॉरमोन रिलिजिंग आईयूडी	तृ	लेवोनोरगेस्ट्रोल विमोचन लेवोनोरगेस्ट्रोल रिलिज़िंग)	आईयूडी

18.3.2: इन्ट्रायूट्रिन उपकरण			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
आईयूडी कन्टेनिंग कॉपर	प्रा., द्वि., तृ		
18.3.3: गर्भ निरोधक तरीके			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
कॉनडॉम	प्रा., द्वि., तृ		
18.4: एस्ट्रोजन			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एथिनायलएस्ट्रेडियोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.01 मिग्रा. 0.05 मिग्रा.
18.5: मधुमेह रोग में प्रयुक्त दवाईयां			
18.5.1: इन्सुलिन और अन्य मधुमेह रोधी एजेंट			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
गिलिवेन्कलामाइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	2.5 मिग्रा., 5 मिग्रा.
इन्सुलिन इन्जेक्शन (सोल्यूबल)	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	40 आईयू / मिलि
इन्टरमिडिऐट एक्टिंग (लिन्टे/एनपीएच इन्सुलिन)	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	40 आईयू / मिलि
मेटफोरमिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	500 मिग्रा.
शामिल की गई दवाईयां			
पिरिमिक्स इन्सुलिन 30: 70 इन्जेक्शन	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	40 आईयू/ मिलि

18.5.2 हाइपोगिलीसिमया के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाईयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ग्लूकागोन	तृ	इन्जेक्शन	1 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाईयां			
25: डेक्सट्रोज़	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिलि
18.6 औवूलेशन इनड्युसर			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
क्लोमिफेन साइट्रेट	तृ	गोलियां	50 मिग्रा., 100 मिग्रा.
18.7 प्रोजेस्टोजेन			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
मेड्रोक्सीन प्रोगेस्ट्रोन ऐसिटेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा., 10 मिग्रा.
नोरएथिस्ट्रियोन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा.

18.8 थाइराइड और थाइराइडरोधी दवाईयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
कार्बिमाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा., 10 मिग्रा.
लेवोथायरोक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 यूजी, 100 यूजी
आयोडिन	द्वि., तृ	सोल्यूशन	8 मिग्रा. / 5 मिलि

भाग: 19 रोगप्रतिरक्षण			
19.1: नैदानिक एर्जेट			
औषधियां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ट्यूबरक्यूलिन, प्यूरिफाइड प्रोटिन डेरेवेटिव	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	1 टीयू, 5 टीयू
19.2: सेरा और इम्युनोग्लोबिन			
औषधियां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एंटी-डी इम्योनोग्लोबिन ह्यूमन)	द्वि., तृ	इजेक्शन	300 यजी
पोलिवेलेन्ट एंटीस्नेक वेनम	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	10 मिलि
एंटीटेटन्स ह्यूमन इम्योनोग्लोबिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	250 आईयू, 500 आईयू
डायथेरिया एंटीटोक्सीन	द्वि., तृ	इजेक्शन	10,000 आईयू
रेबिस इम्योनोग्लोबिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	150 आईयू /मिलि
19.3: टीके			
19.3.1: यूनिवर्सल रोग प्रतिरक्षण			
औषधियां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
बी.सी.जी. वेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	
डी.पी.टी. वेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	
हेपाटेटिस बी वेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	
मीसलेस वेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	
ऑरल पोलियामायलेटिस वेक्सिन एलए)	प्रा., द्वि., तृ	सोल्यूशन	
19.3.2: विशिष्ट व्यक्ति वर्ग के लिए			
औषधियां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
रेबिस वेक्सिन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	
टेटनस टोक्साइड	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	

भाग: 20 - मस्कल रिलेक्सेंट (पैरीफेरेली एक्टिंग) और कोलिनेस्टेरेस इनहेबिटर			
औषधियां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एट्राक्यूरियम बायसायलेट	द्वि., तृ	इजेक्शन	10 मिग्रा. / मिलि
नियोस्टीज़माइन	द्वि., तृ	गोलियां इजेक्शन	15 मिग्रा., 0.5 मिग्रा./ मिलि
पायरिडोस्टिज़माइन	द्वि., तृ	गोलियां इजेक्शन	60 मिग्रा., 1 मिग्रा./ मिलि
सक्सीनायल कोलिन क्लोराइड	द्वि., तृ	इजेक्शन	50 मिग्रा./ मिलि

शामिल की गई दवाईयां			
विक्योरोनियम	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	2 मिग्रा./ मिलि

भाग : 21 - ओपथलमोलॉजिकल विनिर्मितियां			
21.1: एंटि-इनफेक्टिव एजेंट			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
क्लोरामफेनिकोल	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप/ऑयनटमेन्ट	0.4%, 1%
सिप्रोफ्लोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप/ऑयनटमेन्ट	0.3%
जैन्टामाइसिन	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	0.3%
मिकानाज़ोल	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	1%
पोविडोन आयोडिन	द्वि., तृ	ड्रोप	0.6%
सल्फेक्टामाइड सोडियम	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	10%, 20%
21.2: एंटिइन्फलेमेट्री एजेंट			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
प्रेडनीसोलोन ऐसिटेट	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	0.1%
प्रेडनीसोलोन सोडियम फोस्फेट	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	1%
21.3: लोकल एनेस्थिसिया			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	0.5%
21.4: मियोटिक तथा एंटिग्लूकोमा दवाइयां			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
ऐसिटाज़ोलामाइड	द्वि., तृ	गोलियां	250 मिग्रा.
बेटाक्सोलोल हाइड्रोक्लोराइड	तृ	ड्रोप	0.25%, 0.5%
पिलोकारपाइन	द्वि., तृ	ड्रोप	2%, 4%
टाईमोलोल मेलिऐट	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	0.25%, 0.5%,
21.5: माइड्रिएटिक			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
एट्रोपाइन सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप/ऑयनटमेन्ट	1%
होमाट्रोपाइन	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	2%
फिनायलफ्रायन	प्रा., द्वि., तृ	ड्रोप	5%
21.6: ओपथलमिक सर्जिकल ऐड			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
मिथायल सेल्यूलोस	तृ	इन्जेक्शन	2%

भाग : 22 - ओक्सिटोसिस तथा एंटिओक्सिटोसिस			
22.1: ओक्सिटोसिस			
दवाईयां	श्रेणी	दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म	प्रबलता
मिथायल एरगोमेट्राइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.125 मिग्रा.

		इजेक्शन	0.2 मिग्रा./ मिलि
माइफप्रिस्टोन	तृ	गोलियां	200 मिग्रा.
ऑक्सीटोसिन	द्वि., तृ	इजेक्शन	5 आईयू / मिलि, 10 आईय/ मिलि

शामिल की गई दवाइयां			
मिसोप्रोस्टोल	तृ	गोलियां	100 यूजी
22.2: एंटिओक्सिटोसिस			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
टेरब्यूटालिन सल्फेट	द्वि., तृ	गोलियां इजेक्शन	2.5 मिग्रा. 0.5 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
नाइफाडिपिन	द्वि., तृ	गोलियां	10 मिग्रा.
बिटामिथाज़ोन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	4 मिग्रा./ मिलि

भागः 23 - पेरिटोनियल डायलिसिस सोल्यूशन			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
इन्ट्रापेरिटोनियल डायलयसिस सोल्यूशन	तृ		4 के लगभग कम्पोजिशन
भाग : 24 - साइकोथेरेपेटिक दवाइयां			
24.1: साइकोटिक डिसआर्डर में प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
क्लोरप्रोमाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप इजेक्शन	25 मिग्रा., 50 मिग्रा., 100 मिग्रा. 25 मिग्रा./5 मिलि 25 मिग्रा./ मिलि
हेलोपेरिडोल	द्वि., तृ	इजेक्शन	5 मिग्रा./ मिलि
शामिल की गई दवाइयां			
ओलनज़ापाइन	तृ	गोलियां	5 मिग्रा.,10 मिग्रा.
24.2: मूड डिसओर्डर में प्रयुक्त दवाइयां			
24.2.1: डिप्रेसिव डिसआर्डर में प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एमिट्रिप्टायलिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा.
फ्ल्यूऐक्सिटन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल	20 मिग्रा.
इमीप्रामाइन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा., 75 मिग्रा.
24.2.2: बाइपोलर डिसआर्डर में प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
लिथियम कार्बोनेट	तृ	गोलियां	300 मिग्रा.

शामिल की गई दवाइयां			
सोडियम वेलप्रोएट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	200 मिग्रा., 500 मिग्रा.

24.3: आम चिंता और अनिद्रा के लिए प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
एल्प्राज़ोलम	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	0.25 मिग्रा., 0.5 मिग्रा.
डियाज़ापाम	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	2 मिग्रा., 5 मिग्रा.
24.4: ओबसैसिव कम्पलसिव डिसआर्डर एवं पेनिक एटेक के लिए प्रयुक्त दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
शामिल की गई दवाइयां			
फ्ल्यूऐक्सिटन हाइड्रोक्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	कैप्सूल	20 मिग्रा.

भाग : 25 - श्वासनली पर क्रिया करने वाली दवाइयां			
25.1: एंटिअस्थमैटिक दवाइयां			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
बिकलोमिथाज़ोन डाईप्रोपियोनेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्हेलेशन	50 यूजी, 250यूजी / डोज़
हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	100 मिग्रा., 200 मिग्रा., 400 मिग्रा.
सेलब्यूटामोल सल्फेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां सिरप इन्हेलेशन	2 मिग्रा., 4 मिग्रा. 2 मिग्रा./5 मिलि 100 यूजी / डोज़
शामिल की गई दवाइयां			
आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड	प्रा., द्वि., तृ	इन्हेलेशन	20 यूजी /मीटरड डोज़
25.2: एंटिट्युसिव			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
कोडिन फोस्फेट	द्वि., तृ	गोलियां सिरप	10 मिग्रा. 15 मिग्रा./5 मिलि
डेक्सट्रामिथोरफेन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	30 मिग्रा.

भाग: 26 - सोल्यूशन करेक्टिंग वाटर, इलैक्ट्रालाइट तथा एसिड-बेस डिस्टरबेनसिस			
26.1: ऑरल			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट	प्रा., द्वि., तृ	पाउडर और सोल्यूशन	आई पी के आधार पर
26.2: पेरेंटल			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
ग्लूकोस	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	5% आईसोटोनि, 10%, 15%
ग्लूकोस सोडियम क्लोराइड सहित	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	5%+ 0.9%
नॉर्मल सेलाइन	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	0.9%
एन/2 सेलाइन	द्वि., तृ	इजेक्शन	
एन/5 सेलाइन	द्वि., तृ	इजेक्शन	
पोटाशियम क्लोराइड	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	11.2% सोल्यूशन
रिंगर लेक्टेट	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	आई पी के आधार पर
सोडियम बायकार्बोनेट	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	आई पी के आधार पर
26.3: विविध			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज़ फॉर्म**	**प्रबलता**
इन्जैक्शन के लिए पानी	प्रा., द्वि., तृ	इजेक्शन	2 मिलि, 5 मिलि, 10 मिलि

भाग: 27 - विटामिन और मिनरल			
दवाईयां	**श्रेणी**	**दवा लेने का तरीका/डॉसेज फॉर्म**	**प्रबलता**
एस्कोरबिक ऐसिड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा., 500 मिग्रा.
कैल्शियम कार्बोनेट	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	250 मिग्रा., 500 मिग्रा.
मल्टीविटामिन ; औषध एवं प्रसाधन अधिनियम की सूची ट के आधार परद्ध	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	
निकोटिनामाइड	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	50 मिग्रा.
पायरिडोक्सीन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	25 मिग्रा.
रिबूफ्लेविन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	5 मिग्रा.
थायमिन	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां	100 मिग्रा.
विटामिन ए	प्रा., द्वि., तृ	गोलियां कैपसूल	5000 आईयू, 50000 आईयू, 100000 आईयू,
		इन्जेक्शन	50000 आईयू/ मिलि
विटामिन डी ; एरगोकैल्शिफेरोलद्ध	प्रा., द्वि., तृ	कैपसूल	0.25 मिग्रा., 1 मिग्रा.
शामिल की गई दवाइयां			
कैल्शियम ग्लूकोनेट	प्रा., द्वि., तृ	इन्जेक्शन	100 मिग्रा./ मिलि में 10 मिलि एम्पयूल

अनुसूची-2

प्ररूप-1

एनएलइएम विनिर्मिति से संबंधित किसी नई औषधि की कीमत का नियतन/पुनरीक्षण के लिए आवेदन का प्रोफार्मा

[पैरा 2(प) 5,7,8,9,15 देखें]

1. विनिर्मिति का नाम :
2. विनिर्माता/आयातक का नाम और पता :
3. विपणन कंपनी का नाम, यदि कोई हो :
4. ओषधि नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा दावाकृत और अनुमोदित लेबल के अनुसार समिश्रण :
5. ओषधि नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञा संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न की जाए) :
6. उत्पादन/आयात के प्रारंभ की तारीख
7. विनिर्मिति का प्रकार (गोलियां/कैपसूल/सिरप/इंजैक्शन/मरहम/चूर्ण आदि) :
8. पैकों का आकार (10एस/100एस/1मि.ली./ 2मि.ली. / 10मि.ली. /5ग्राम/10ग्राम आदि):
9. विनिर्मिति का उपचार प्रवर्ग/उपयोग :
10. अनुमोदन के लिए दावाकृत फुटकर कीमत :
11. कीमत नियतन/पुनरीक्षण हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए कारण :
12. उत्पाद और उसके विनिर्माण/पैकेजिंग/वितरण की प्रक्रिया से सुसंगत कोई अन्य जानकारी :

ऊपर वर्णित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

तारीख :

अनुसूची-2

प्ररूप-2

अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए पुनरीक्षित कीमतों का प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा

(पैरा 16 देखें)

1. विनिर्माता/आयातकर्ता/वितरक का नाम और पता :

2. विपणन कंपनी का नाम और पता, यदि कोई है :

क्र0सं0	उत्पाद का नाम विनिर्मिति और उसकी खुराक का प्ररूप	अनुसूचित विनिर्मिति/ नई ओषधि का सम्मिश्रण	पैक का आकार	पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में डब्ल्यू.पी.आई में बदलाव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	अनुसूचित विनिर्मिति			
	स्व विनिर्मित विनिर्मितियां			
	क्रय की गई/आयातित विनिर्मितियां			

फुटकर विक्रेता को कीमत (ई.डी.सहित) (रु0)		अधिकतम फुटकर कीमत (ई.डी. और कर सहित) (रु0)		अधिकतम कीमत (अधिसूचित) (रु0)	प्रभावी बैच सं0 और तारीख
पुनरीक्षण के पूर्व	पुनरीक्षित	पुनरीक्षण के पूर्व	पुनरीक्षित		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टिप्पणियां :- क्रय की गई विनिर्मिति के मामले में, विनिर्माता का नाम उपदर्शित किया जाएगा ।

उपरोक्त में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास से सही और सत्य है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

स्थान :

नाम :

तारीख :

पदनाम :

अनुसूची-2
प्ररूप-3
अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए पुनरीक्षित कीमतों को प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा
(पैरा 21(1) देखें)

1. विनिर्माता/आयातकर्ता/वितरक का नाम और पता :
2. विपणन कंपनी का नाम और पता, यदि कोई है :
3. साल की तिमाही के लिए उत्पादन/आयात और विक्रय के ब्यौरे :—

सारणी-अ

अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	सम्मिश्रण/शक्ति	खुराक प्ररुप	ईकाई (सं0/कि.ग्रा./लि0)	उत्पादन/आयात का स्तर				
				पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष			
					पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

घरेलू विक्रय				
पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष			
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

सारणी-आ

अनुसूचित विनिर्मिति में उपयोग किए गए थोक ओषधि का नाम	ईकाई (कि.ग्रा./ली.)	प्रतिष्ठापित क्षमता		उत्पादन/आयात का स्तर				
				पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष			
					पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

घरेलू विक्रय				
पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष			
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

बाध्यताएं, यदि कोई हो :

टिप्पण (1) : बाहरी स्त्रोत से किए गए कार्य आधार पर किए गए उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और सत्य है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता :

स्थान : नाम :

तारीख : पदनाम :

अनुसूची-2

प्ररूप-4

अनुसूचित विनिर्मिति के उत्पादन और/या आयात के बंद करने के संबंध में ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

[पैरा 2(2) देखें]

1. विनिर्मिति का नाम :
2. विनिर्माता/आयातक का नाम और पता :
3. विपणन कंपनी का नाम, यदि कोई हो :
4. ओषधि नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा दावाकृत और अनुमोदित लेबल के अनुसार समिश्रण :
5. ओषधि नियंत्रक प्राधिकारी अनुज्ञा संख्यांक और तारीख (प्रति संलग्न की जाए) :
6. विक्रय की कीमत और अधिसूचना की तारीख :
7. विद्यमान अधिकतम फुटकर कीमत और उसकी प्रभावी तारीख :
8. एनएलईएम के अनुसार चिकित्सीय प्रवर्ग :
9. उत्पादन/आयात के प्रारंभ की तारीख :
10. बंद करने की प्रस्तावित तारीख :
11. उत्पादन/आयात को बंद करने के लिए कारण :
12. चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्षवार उत्पादन/आयात :
13. चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्षवार विक्रय :
14. क्या डीपीसीओ, 2013 के अधीन "नई ओषधि" की परिभाषा के परंतुक के अधीन यथापरिभाषित कोई नई ओषधि आरंभ की गई है या आरंभ किए जाने के लिए आशयित है ! यदि हां, तो उसके ब्यौरे :
15. अनुसूचित विनिर्मित को बंद करने से सुसंगत कोई अन्य जानकारी :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

स्थान :

नाम :

तारीख :

पदनाम :

अनुसूची-2

प्ररूप-5

कीमत सूची के लिए प्रोफार्मा

[पैरा 2(x) 24,25,26 देखें]

1. विनिर्माता/आयातकर्ता/वितरक का नाम और पता :

2. विपणन कंपनी का नाम और पता, यदि कोई है :

सारणी-अ

क्र0सं0	उत्पाद का नाम (विनिर्मिति और उसकी खुराक का प्ररूप)	ओषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित सम्मिश्रण	पैक का आकार	फुटकर विक्रेता को कीमत (ई.डी.सहित) (रु0)	अधिकतम फुटकर कीमत (ई.डी. और कर सहित) (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	अनुसूचित विनिर्मितियां				
	स्व विनिर्मित वितिर्मितियां				
	क्रय की गई आयातित विनिर्मितियां				

सारणी-आ

क्र0सं0	उत्पाद का नाम (विनिर्मिति और उसकी खुराक का प्ररूप)	ओषधि नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित सम्मिश्रण	पैक का आकार	फुटकर विक्रेता को कीमत (ई.डी.सहित) (रु0)	अधिकतम (ई.डी. और कर सहित) (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गैर अनुसूचित विनिर्मिति				
	स्व विनिर्मित विनिर्मितियां				
	क्रय की गई आयातित विनिर्मिति				

टिप्पणियां :- क्रय की गई विनिर्मिति के मामले में, विनिर्माता का नाम उपदर्शित किया जाएगा ।

उपरोक्त में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास से सही और सत्य है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :